

A SCHEME FOR LEGAL SERVICES TO DISASTER VICTIMS THROUGH LEGAL SERVICES AUTHORITIES

1. Background

Sub clause (e) of Section 12 Legal Services Authorities Act, 1987 makes the victims of disasters who are under circumstances of undeserved want as a result of such disaster eligible for free legal services to file or defend a case. But in a disaster of catastrophic nature whether it is natural or manmade, the victims are often taken unawares and are subjected to face the grim situation of loss of life, becoming homeless, destruction of property or damage to or degradation of environment and subject to human sufferings and damage beyond the coping capacity of the community of the affected area.

Even though it is the duty of the Government and the Administration of the locality to come to the help of the victims of disasters, Legal Services Authorities by virtue of sub-clause (e) of Section 12 can play an effective role by coordinating the activities of the State Administration in the disaster management by way of strategic interventions in an integrated and sustainable manner, reducing the gravity of the crisis and to build a platform for early recovery and development. The Legal Services Authorities shall endeavour to help the victims and the administration for reducing risk and assisting them to adopt disaster mitigation policies and strategies, reducing the vulnerabilities of the geographical and social situation and strengthening their capacities for managing human made and natural disasters at all levels.

2. Name of the Scheme.

This Scheme shall be called the Scheme for Legal Services to the victims of disasters through Legal Services Authorities.

3. Objective

The objective of the scheme is to provide legal services to the victims of disaster - both manmade and natural - who are under circumstances of undeserved want being victims of mass disaster, ethnic violence, caste atrocities, flood, drought, earth-quake or industrial disasters.

The intervention of Legal Services Authorities should be for coordinating the integrated, strategic and sustainable development measures taken by the Government

and Disaster management Authorities for reducing the period of crises and for building a platform for early recovery and development. The thrust of the efforts for by the State Legal Services Authorities shall be for strengthening the capacity of the victims for managing the disaster at all levels and to coordinate with the Government departments and non-governmental organisations and also for providing legal aid to the victims.

4. Strategic Intervention by the State Legal Services Authorities.

The strategy for intervention by the Legal Services Authorities for helping the victims of disasters shall be on the following lines:

1. Ensuring immediate help by Governmental and Non-Governmental Agencies to the victims.
2. Coordinating the activities of different departments of the Government and the NGOs for bringing immediate relief.
3. Supervising the distribution of relief materials.
4. Supervising the construction of temporary shelter or transporting the victims to a safer place.
5. Supervising the reunion of families.
6. Supervising the health care and sanitation of the victims and preventing the spread of epidemics.
7. Supervising the needs of women and children.
8. Ensuring the availability of food, medicine and drinking water.
9. Supervising the reconstruction of damaged dwelling houses.
10. Supervising the restoration of cattle and chattel.
11. Legal Awareness Programmes in the relief camps on the legal rights of the victims.
12. Organising Legal Aid Clinics in the affected areas for assisting in reconstruction of valuable documents.
13. Assisting the victims to get the benefits of the promises and assurances announced by the Government and Ministers.
14. Assisting in the rehabilitation, care and future education of orphaned children.
15. Taking steps for appropriate debt relief measures for the victims.

16. Assisting in the rehabilitation of the old and disabled who lost their supporting families.
17. Assisting in the problems relating to Insurance Policies.
18. Arranging Bank Loans for restarting the lost business and avocations.
19. Arranging for phyciatrist's help / counselling to the victims who are subjected to physiological shock and depression on account of the disaster.

5. Machinery for Legal Services.

The State Legal Services Authorities shall establish a Core group in all districts under the control of the District Legal Services Authorities to spring into action in the event of a disaster, whether manmade or natural.

The Core group shall consist of a senior judicial officer, young lawyers including lady lawyers selected in consultation with the local bar association, Medical Doctors nominated by the local branch of the Indian Medical Association and the NGOs by accredited by the State Legal Services Authority. The Secretary of the District Legal Services Authority shall maintain a Register containing the Telephone numbers and the cell numbers of the members of the Core group.

STRATEGY FOR LEGAL AID TO THE VICTIMS

6. Ensuring immediate help by Governmental and Non-Governmental agencies to the victims.

The nodal agency for responding to a disaster shall be the State and District Disaster Management Authorities set up under the Disaster Management Act, 2006. The State Legal Services Authority should immediately alert the District Legal Services Authority concerned who in turn shall get in touch with the Disaster Management Authority of the State and District and gather the details of the steps taken by the latter.

- (a) The Core group set up the District Legal Services Authority shall immediately proceed to the area where the disaster has occurred and get involved in the work of relief.

- (b) The District Legal Services Authority and the Core team shall coordinate the activities of the relief operations by involving themselves and without causing any hindrance to the smooth flow of the relief operations.

7. Coordinating different departments of the government and the NGOs for brining immediate relief.

The State Legal Services Authority at the apex level shall get in touch with the State Disaster Management Authority / Department to ensure that all the departments of the State Government including health, finance, social welfare and police are involved in the relief operations. The State Legal Services Authorities shall coordinate the implementation of the Plan of Action, if any, prepared by the Disaster Management Authorities.

- (a) The State and District Legal Services Authorities shall obtain a copy of the disaster management plan, if any, prepared by the State Disaster Management Authority / District Disaster Management Authority.
- (b) The State Legal Services Authority / District Legal Services Authority shall as far as practicable follow the aforesaid plan and, if necessary, make suggestions to the state administration or Disaster Management Authorities for improving the quality of relief operations.

8. Supervising the distribution of relief materials.

In the event of a disaster, the first and foremost step to be taken is to ensure that the victims are provided with adequate support to tide over their undeserved wants. This includes provision of food, safe drinking water and transferring the victims to safe shelters. The District Legal Services Authority in coordination with the Disaster Management Authority and State Government Departments, shall supervise effective and timely supply of relief materials to the victims of the disaster.

9. Supervising the construction of temporary shelters or transporting victims to safer place.

District Legal Services Authority and the Core team shall supervise construction of temporary shelters and transportation of victims to such shelters to other safer places. Any lapses can be reported to the government officer incharge to ensure that the lapses are remedied immediately.

10. Supervising the reunion of families.

A disaster may result in sudden disruption of the cohesive unit of families. Members of the family are likely to get separated on account of the disaster or by reason of the rescue operations or on account of medial emergencies. Separation can occur due to loss of life also.

The Core team shall visualise such probable traumatic situations in the families affected by the disaster and shall take necessary steps for consoling the victims and shall take earnest search for the missing members of the families.

11. Supervising the health care of the victims and preventing the spread of epidemics.

The District Legal Services Authority shall take prompt steps for coordinating with the District Medical Officer for ensuring that the victims of the disaster are given proper medical care. The injured victims shall be given prompt treatment.

- (a) When a large number of affected persons are congregated in relief camps, adequate sanitation has to be ensured. Steps shall be taken to ensure that the public health authorities are performing cleaning and sanitation of the camps on a regular basis.
- (b) The District Legal Services Authority shall ensure that adequate preventive measures are taken by the health authorities against outbreak of contagious and infectious diseases and water-born diseases can occur in the relief camps.
- (c) Right to health being a concomitant to the Right to Life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India, the disaster victims are entitled to adequate health facilities and the Legal Services Authorities are duty-bound to ensure the same through appropriate measures.

12. Supervising the needs of women and children.

Women and children are beneficiaries of free legal aid under Section 12 of Legal Services Authorities Act. They are the most vulnerable group amongst the victims of any disaster. Safety of women and children in the camps and their valuables like ornaments and personal belongings are to be protected. The District Legal Services

Authority shall ensure that the Police takes necessary steps for preventing theft and anti-social activities. Legal Services Authorities shall coordinate with the Police Officers to ensure the safety of women and children.

13. Ensuring the availability of food, drinking-water and medicine.

The need for food, safe drinking water and medicine are basic human needs and hence are attributes of the Right to life under Article 21 of the Constitution of India. Legal Services Authorities can therefore rightfully intervene and coordinate with the State Government, District Administration and Health Authorities to ensure the availability of food, safe drinking-water and medicine to the victims living in the shelters.

14. Supervising the reconstruction of damaged dwelling houses.

Housing is one of the important problems faced by the victims of disasters. Partial or total damage may occur to houses in disasters like earthquake, flood and communal riots. Assurances given by the Ministers and Government officials ex-gratia payment and funds for reconstruction of damaged houses of the victims may go unfulfilled or forgotten due to passage of time. Efforts shall be taken by the Legal Services Authorities to ensure that such promises are fulfilled and the promised funds or other relief measures are disbursed to the victims without delay.

15. Supervising the restoration of cattle and chattel.

Loss of cattle, chattel and household articles are concomitant with all mass disasters. Thieves, looters and anti-socials have a field day during riots and ethnic violence and also during the havocs like flood, drought, pestilence and earth-quake. The District Legal Services Authority in coordination with the Police or Armed Forces shall ensure that the valuables belonging to the victims are not looted or stolen houses. Similarly, steps shall be taken to protect livestock and chattel also. The Legal Services Authorities shall coordinate with the animal-husbandry department of the government to save the livestock.

16. Legal Awareness Programmes in the relief camps on the legal rights of the victims.

Once the victims are relieved from the immediate shock and impact of the disaster, the Legal Services Authority may chose a convenient time and place near the relief

camps for imparting legal awareness to the victims. Women lawyers may be entrusted with the job of conducting informal legal awareness programme, mainly related to the rights of the disasters victims to avail of the relief measures from the authorities. The legal remedies available and the mode in which the benefits of the offers and schemes announced by the government are to be availed of also may be included as topics. Legal Awareness Programmes shall not be conducted in a ceremonial manner. Inaugural function and other formalities shall be totally avoided. The ambience of disaster and the mood of grief stricken victims should be fully taken in to account by the resource persons and the steps for legal awareness shall be taken in such a manner as to go along with the measures for consolation and redressal of the grievances of the victims. Visits by women lawyers to the camps and homes of the victim will be desirable.

17. Organising Legal Aid Clinics in the affected areas for assisting in the reconstruction of valuable documents.

It is likely that the victims of disaster have lost their valuable documents like titled deeds, ration cards, identity cards, school and college certificates, certificate of date and birth, passport, driving licence etc. The District Legal Services Authority shall organise legal aid clinics in the affected areas and assist the victims to get duplicate certificate and documents by taking up the matter with the authorities' concerned. Arrangements for issuing Death Certificates of the deceased victims also shall be made.

18. Taking care of the rehabilitation and the future care and education of the orphaned children.

Orphaned children are the living monuments of disasters. Loss of childhood, paternal affection are likely to haunt them for the rest of their lives. At times, the orphaned children may get affected with psychiatric problems also.

The Legal Services Authority shall seek the help of voluntary organisations large business houses and Corporates for the educational needs and accommodation of such children till they attain the age of maturity. In appropriate cases, the Legal Services Authority may assist such children to be taken care of under provisions of the Juvenile Justice (care and protection) Act.

19. Taking steps for appropriate debt relief measures for the victims.

Rehabilitation of disaster victims will be a gigantic challenge for any administration. The adequate funds should be made available to the victims who lost everything in their life for rebuilding their avocation, buying agricultural implements and other implements required for their avocations in which they were engaged prior to the disaster. Victims belonging to fisherman community may require huge amounts for buying nets, boats and outboard engines. Such measures of rehabilitation may require the assistance of government departments concerned. The State Legal Services Authority shall coordinate with Public Sector Banks, Social Welfare Department and other departments concerned for helping the victims to re-start their avocations. In appropriate cases, provisions in the laws relating to debt relief shall be invoked.

20. Rehabilitation of the old and disabled who lost their supporting families.

Persons with disabilities as defined in Clause (e) of Section 2 of Disabilities (Equal Opportunity) Protection of Rights and Full Participation Act, 1995 are entitled to free legal aid under Section 12 of the Legal Services Authorities Act. Senior citizens are entitled to certain benefits under the provisions of Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act. The senior citizens and disabled persons who lost their support on account of disasters shall be identified and appropriate legal aid shall be given to them.

21. Problems relating to Insurance Policies.

The Legal Services Authorities shall take up the insurance claims of the disaster victims with the Insurance Companies for settlement of such claims. Negotiations may be undertaken with the Insurance Company officials for a settlement favourable to the victims. In appropriate cases the service of Insurance Ombudsman also may be availed of.

22. Arranging Bank Loans for restarting the lost business and avocations.

The victims who suffered substantial loss of their business and implements used in their avocations shall be helped by adopting proper restorative measures. For this

purpose, efforts shall be made to make available financial assistance of nationalised banks and other public sector financial institutions. The Legal Services Authorities shall persuade the officials of such financial institutions to raise to the occasion for helping the victims.

23. Arranging for the services psychologists / psychiatrists help for counselling the victims suffering from psychological shock and depression on account of the disaster.

Mental shock and the related psychiatric manifestations are usually seen associated with the traumatic effects of disasters on the victims and their family members. Sudden loss of human life and the horrifying experiences of the trauma of the disasters can result in mental shock and psychiatric problems not only to the victims but also to their family members. The District Legal Services Authority shall in coordination with the District Medical Officer make necessary arrangements for the services of psychiatrists and psychologists.

The District Authority shall ensure the presence of the members of the Core group at the relief camps everyday till the victims are rehabilitated.

24. District Legal Services Authority shall collect reports from the Core Group.

District Legal Services Authority shall collect daily reports from the Core group working at the location of the disaster. Copies of such reports shall be sent to the State Legal Services Authority. The State Legal Services Authority shall consolidate the reports and send a comprehensive report to the National Legal Services Authority and copies thereof shall also be sent to the District Management Authorities of the State and District. Copies of the report shall be placed before the Patron-in-Chief of the State Authorities and also in the meeting of the State Authority.

If any difficulty arises in giving effect to this Scheme, the State Legal Services Authority and District Legal Services Authority or the Core group may seek guidance from the Executive Chairman of the State Authority.

* * * * *

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची

नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 - संक्षिप्त परिदृश्य

योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य समस्त आयु समूह की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अवैध व्यापार के पीड़ितों एवं प्रत्येक स्तर पर अर्थात् रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास के सम्बन्धों का समाधान करने हेतु विधिक सहायता प्रदान करना है। योजना का मुख्य विषय इन पिछड़े समूहों हेतु आर्थिक एवं सामाजिक मार्ग प्रदान करना है ताकि वे सामाजिक रूप से जुड़ जाएं एवं इस प्रकार उन्हें वे समस्त सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो जो एक साधारण नागरिक को उपलब्ध है। विधिक सेवा प्राधिकरण का हस्तक्षेप पीड़ितों की मर्यादा का संरक्षण सुनिश्चित करना होना चाहिए जो उनका उतना ही जीवन का मूल अधिकार है जितना किसी अन्य नागरिक के जीवन का।

बच्चों एवं वयस्कों, जो इस उद्देश्य हेतु अवैध व्यापार में लाए गये हैं के अलावा, पहले से ही पिछड़े स्वैच्छिक यौन-कर्मि विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से वर्चित न रह जाएं इसी कारण उन्हें भी वाणिज्यिक यौन शोषण का पीड़ित माना गया है।

अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी, विधिक सेवा क्लीनिक, प्रिंट ऑफिस, पैनल अधिवक्ता और प्रतिधारक अधिवक्ता जैसे शब्दों का अर्थ वही रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधि) विनिमयन, 2010 और राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनिमयन, 2011 के तहत परिभाषित है।

पीड़ितों को विधिक सेवा हेतु योजना

उपलब्ध योजनाएँ-

- ❧ आई सी डी एस अथवा शिशु देखरेख विकास - 0 - 6 वर्ष, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताएँ (देखरेख प्रदान करने वाले के रूप में)
- ❧ खाद्य सुरक्षा अथवा राशन कार्ड
- ❧ वृद्ध महिलाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा अथवा पेंशन
- ❧ दोपहर के भोजन को सम्मिलित करते हुए शैक्षणिक योजनाएँ, सेतु के विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के आवासीय विद्यालय, सबाला, नवयुवतियों एवं विनिर्दिष्ट कन्याओं हेतु सामाजिक कल्याण विभाग से प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियाँ
- ❧ जीविका-कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, सूक्ष्म उद्यम-अ.ज./अ.जन./पि.व./अल्पसंख्यक एवं महिला विकास निगम से एवं सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सी एस आरनिधि
- ❧ निर्माण हेतु आवासीय अथवा छूट एवं शहरी विकास से भूमि पट्टा, आवासीय निगम
- ❧ सार्व भौम हकदारियाँ-जनधन, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, एस. एच. जी. सदस्यता
- ❧ विधिक सहायता योजनाएँ-विधिक साक्षरता, अर्धविधिक स्वयंसेवी, निःशुल्क विधिक सहायता एवं संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विधिक सहायता क्लीनिक

वि. से. प्रा. की भूमिका

SLSAs/DLSAs की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभिसरण बनाए रखने के लिए है। इसमें कोई शक नहीं है की सभी योजनाओं के लिए प्रशासनिक अभिसरण जिला कलेक्टर के तहत किया जाएगा, वहीं बचाव के अभिसरण SLSAs और DLSAs की देख-रेख में करना होगा।

SLSAs और DLSAs को भी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में, क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी मशीनरी और समुदाय आधारित संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाना होगा। इस तरह के सीबीओ/गैर सरकारी संगठनों को नालसा द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

पीड़ितों के कानूनी, वैधानिक, संवैधानिक और मानव अधिकारों को लागू करने के लिए जहाँ भी आवश्यकता हो कानूनी सहायता, परामर्श, संवेदीकरण या प्रशिक्षण प्रदान करना SLSAs और DLSAs की भूमिका होगी।

इस पृष्ठभूमि में, रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. की भूमिका निम्नलिखित में होगी: दूरियाँ मिटाना - समस्त विभागों एवं पीड़ितों, जैसे कि अवैध व्यापार में लायी गयी महिलाओं, यौन कार्यों में संलग्न महिलाओं एवं जो अवैध व्यापार एवं अत्यधिक हिंसा के आघात के पीड़ित हों, के मध्य।

सहभागिता बढ़ाना-जि. वि. से. प्रा. द्वारा सामुदायिक संगठनों, इसके सदस्यों एवं सरकारी-विभाग-जिला एवं उप-जिला प्रशासन को साथ लाने के लिए योजना 'योजना शिक्षा अभियान' आयोजित करना।

सहभागिता एवं स्वामित्व को सुगम बनाना-

सामुदायिक बैठकों एवं शिविरों के माध्यम से सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग कायम करते हुए जि. वि. से. प्रा. द्वारा आगे कार्यवाही करना।

संवेदीकरण-

समस्त विभागों एवं संस्थाओं को समुदाय की गतिशीलता के बारे में सीखने हेतु योग्य बनाना, गलत अवधारणाओं को दूर करना।

उत्तरदायित्व को मजबूत बनाना-

अधिकार धारण करने वाले की पहचान से लेकर योजना का लाभ दिलाये जाने तक समस्त प्रक्रियाओं को अभिग्रहण करने वाली प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.) के माध्यम से।

साझेदारी विकसित करना -

पहले स्तर पर सामुदायिक संगठनों एवं यौन कर्मियों के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एवं अवैध व्यापार एवं यौन शोषण के पीड़ितों के साथ सहभागिता सुनिश्चित करना। समुदाय के बहुत से छिपे हुए सदस्यों तक पहुँचने वाली प्रक्रिया को सुगम बनाना एवं सामुदायिक जुटाव की प्रक्रिया को आकार देना।

मध्य स्तर पर जिला प्रशासन तंत्र, यथा महिला एवं बाल विकास विभाग (विशेष रूप से बाल संरक्षण / कल्याण समितियाँ एवं मानव अवैध व्यापार निरोधक इकाईयाँ) एवं जि. वि. से. प्रा. के मध्य साझेदारी होनी चाहिए। यह समुदाय एवं लाभार्थियों के साथ मूल/जमीनी स्तर पर होने वाले प्रयासों पर विशेष ध्यान देंगे।

साझेदारी का तीसरा स्तर बाल विभाग, जो अवैध व्यापार के पीड़ितों हेतु कई योजनाएँ कार्यान्वित करता है एवं पुनर्वास/स्वधार/उज्ज्वला घर चलाता है गृहमंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय एवं ग्रामीण जीविका अभियान जो मानव अवैध व्यापार की रोक-थाम हेतु जनादेश भी रखता है एवं लाभार्थियों को संरक्षण एवं सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण साझेदार होगा, के साथ होगा।

योजना को लागू करने हेतु कार्ययोजना-

प्रथम कदम जो कि जि. वि. से. प्रा. को उठाना चाहिए वह क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, एवं समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) तक पहुँचना है। यह करने के लिए, रा. वि. से. प्रा. को यूनिसेफ अथवा यू. एन. ओ. डी. सी. से संपर्क स्थापित करना होगा। उन्हें राज्य अभिकरण जैसे कि महिला एवं बाल विभाग, ग्रामीण जीविका अभियान, व उन्हें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन. ए. सी. ओ.) एवं राज्य तथा जिला एड्स नियंत्रण समितियों (एस. ए. सी. एस. एवं डी. ए. सी. एस.) की सहायता भी लेनी चाहिए। इस प्रकार रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. अवैध व्यापार के साथ-साथ यौन कर्मियों के बारे में सूचना प्राप्त करने में समर्थ होंगे। दूसरा कदम अन्तर्विभागीय समाभिरूपता स्थापित करना होगा। अर्थात् राज्य एवं जिला स्तर पर प्रेरित करना होगा ताकि समस्त सम्बंधित विभागों की एक सम्मिलित एवं व्यापक प्रतिक्रिया तथा हिस्सेदारी प्रकट हो एवं आवश्यक अन्तर्क्षेत्रीय संयोजन, विधि एवं प्रक्रिया स्थापित हो।

अवैध व्यापार-

अवैध व्यापार के सम्बन्ध में, राज्य में मानव दुर्व्यापार निरोधक इकाईयों एवं एनजीओ /सीबीओ की सहायता से जि. वि. से. प्रा. को उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर आघात युक्त क्षेत्रों आघात युक्त जनसंख्या को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। तभी रोक थाम की योजनाओं को गति प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा। ये योजनाओं के बारे में सूचना का प्रसार करेंगी एवं आघात योग्य लोगों को ऐसी योजनाओं से सम्बद्ध करेंगी ताकि वे उनसे लाभान्वित हो सकें। यह विधि के बारे में एवं संभावित अवैध व्यापार करने वालों के द्वारा खड़े किये गये खतरों

के बारे में जागरूकता फैलाने को भी समाविष्ट करेगा। इस तरह बालकों एवं किशोर बालकों को, उन्हें अपरिचितों के द्वारा मित्र बनाए जाने के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सकेगा एवं माता-पिता को शहरों में उनके बच्चों हेतु अच्छी शिक्षा दिये जाने के वादों की असत्यता के बारे में सावधान किया जा सकेगा। समान रूप से, नवयुवकों को नौकरियों एवं बेहतर जीवन के झूठे वादों के बारे में चेतावनी दी जा सकेगी।

रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु पैनल अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम बनानी होगी। पी. एल. वी. का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि आघात योग्य समुदायों/पीड़ित वर्ग को विभिन्न योजनाओं तक पहुँचाए व योग्य बनाने के लिए पात्रता युक्त दस्तावेजों एवं प्रमाणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अनुक्रम में समस्त प्रक्रियाएं सम्यक तत्परतापूर्वक पूर्ण कर ली गयी हैं। जि. वि. से. प्रा. को अपने पीएलवी एवं अपने कार्यालयों, जहाँ आवश्यक हो, का उपयोग प्रशासनिक प्रमुखों जैसे कि जिला कलक्टर अथवा मुख्य सचिव से योजना का अंतिम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सम्पर्क करने के लिए किया जाना चाहिए।

भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पुलिस थानों में सम्बद्ध अथवा खोए हुए बच्चों के मामलों का संचालन करने हेतु नियुक्त पीएलवी को, बच्चों के मामलों के साथ-साथ अवैध व्यापार पर रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे उत्तरदायी बनें। ये पीएलवी, रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. को जहाँ भी किसी पुलिस थाने में अवैध व्यापार का ऐसा मामला रिपोर्ट किया जाता है अथवा यौन कर्मी की गिरफ्तारी होती है, सूचित करेंगे।

यौनकर्मी-

सामुदायिक आवश्यकताओं को समझने की एक विधि है कि रा. वि. से. प्रा. के सदस्य सचिव अथवा जि. वि. से. प्रा. के पूर्णकालिक सचिव एवं समुदाय के नेताओं अर्थात् ऐसे नेता जो सामाजिक हकदारियों, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी तक पहुँचने में आने वाली कठिनाईयों की व्याख्या कर सकते हों, के मध्य बैठकें आयोजित करना है।

अन्य विधिजन से सुनवाई का आयोजन करना है जहाँ समुदाय के सदस्य 'बयान' देंगे, अथवा दूसरे शब्दों में समस्त स्तरों पर शासन प्रणाली के साथ अपने अनुभव को बतलायेंगे। 'जूरी' निम्नलिखित से मिल कर गठित होनी चाहिए : जि. वि. से. प्रा. के अध्यक्ष एवं/अथवा पूर्णकालिक सचिव, अन्य न्यायिक अधिकारी जहाँ संभव हो, उच्च शासकीय अधिकारी जैसे डीसी, प्रमुख सचिवगण अथवा मुख्य सचिव, पुलिस अधिकारीगण एवं संरक्षण अधिकारीगण / रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. द्वारा ऐसे कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं पैनल अधिवक्तागण को भी समाविष्ट किया जाना चाहिए।

बयान के पश्चात सदस्य सचिव/सचिव, जैसी भी स्थिति हो, अथवा पैनल अधिवक्ता को समुदाय को विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध विधिक सेवाओं के बारे में बताना चाहिए एवं उनकी शिकायतें फाइल करने हेतु एवं जहाँ भी उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो अथवा उनकी कोई विधिक समस्या जैसे उत्तराधिकार इत्यादि की हो, में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण लक्ष्य समूहों को उनके दैनिक जीवन में सामना करने वाली हिंसा एवं उत्पीड़न के निवारण हेतु समर्थ बना सकते हैं। संगी अथवा पति से हिंसा की दशा में जि. वि. से. प्रा. संरक्षण अधिकारीगण के साथ विधिक सहायता एवं सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

जि. वि. से. प्रा. समुदाय से लिए गये अर्धविधिक स्वयंसेवीगण को रा. वि. से. प्रा. के मापदंड के अनुसार अधिकृत एवं प्रशिक्षित कर सकता है। ये पी एल वी जहाँ तक समुदाय का सम्बन्ध है प्राधिकरण के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। जिले के समस्त खण्डों एवं अंतिम रूप से पूरे राज्य से प्रतिवेदनों को लेने के द्वारा 'संतृप्तिकवरेज' सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पुनः, जि. वि. से. प्रा. के समुदाय में योजनाओं हेतु आवश्यकता का मूल्यांकन करना चाहिए एवं जैसा कि यहाँ इसके ऊपर वर्णित है उस तरीके से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक समुदाय की पहुँच को सुगम बनाना चाहिए।

रोकथाम :

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते समय, रा. वि. से. प्रा. / जि.वि. से. प्रा. को एकीकृत बाल संरक्षण योजना, विशेष रूप से ग्रामीण स्तर बाल संरक्षण समितियों 'वीएलसीपीसी' की स्थापना, के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध ढाँचे पर ध्यान देना चाहिए। ये समितियाँ समुदाय के पंचायत सदस्यों, विद्यालयों के अध्यापकों,

विद्यार्थियों एवं माता-पिता से मिल कर बनायी जाती हैं। गाँवों में बच्चों पर नजर रखने हेतु वीएलसीपीसी हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। अध्यापकों को विद्यालय से गायब हुए बच्चों पर निगरानी रखने हेतु संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों के विषय में शीघ्र ही अधिकारीगण को रिपोर्ट करें, ताकि उनकी भलाई हेतु आगे की जाँच शीघ्रतापूर्वक की जा सके।

छोटे बच्चों एवं किशोर बालिकाओं हेतु, आँगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य कर्मियों हेतु समान रूप से जागरूकता एवं संवेदनशीलता के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। पुनः, रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. यह सुनिश्चित करे कि अनुपस्थित रहे बालकों की जाँच की जाए एवं तुरंत रिपोर्ट किया जाए।

वी. एल. सी. पी. सी. एवं आँगनबाड़ी से लिए गये पीएलवी एवं साथ-साथ अध्यापकों को अवैध व्यापार एवं यौन शोषण के मुद्दों पर विशेष बल के साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन पीएलवी के कार्यों की निगरानी सूक्ष्मतापूर्वक करनी चाहिए। वहीं इन पीएलवी को प्रभावी सलाहकार एवं समर्थक दिए जाएँगे ताकि रिपोर्ट हुई किसी घटना पर सम्बंधित रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. द्वारा सम्पूर्ण ध्यान दिया जा सके। विद्यार्थी विधिक साक्षरता क्लबों को अवैध व्यापार के मुद्दों के बारे में लिखने, बात-चीत करने एवं विचार-विमर्श करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये क्लब यौवन के खतरों से बचने व सावधान रहने के बारे में मित्रवत शिक्षक की भूमिका भी निभा सकते हैं।

प्रबंधन सूचना प्रणाली-

रा. वि. से. प्रा. एवं जि. वि. से. प्रा. को एक मजबूत एम आई एस विकसित करना होगा ताकि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गतिविधि रिकार्ड की जा सके, आगे की कार्यवाही की जा सके एवं मूल्यांकन किया जा सके। साथ ही पी. एल. वी. एवं पैनल अधिवक्ता द्वारा पीड़ितों को दी गयी सहायता जि. वि. से. प्रा. के पूर्णकालिक सचिव/सचिव द्वारा अभिलिखित की जा सके व उसकी गहनतापूर्वक निगरानी की जा सके। जहाँ जि वि से प्रा ने पुनर्वास को सुगम बनाना हो तो कम से कम तीन वर्षों तक पीड़ित की ट्रेकिंग होनी चाहिए ताकि उसका पुनर्वास पूर्ण हो एवं उसके पुनः अवैध व्यापार में आने का खतरा न हो।

किन्नर (ट्रांसजेन्डर)

इस योजना के प्रावधान समस्त किन्नरों (ट्रांसजेन्डरस्) पर लागू होंगे।



झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची

नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 - संक्षिप्त परिदृश्य

पृष्ठभूमि

भारतीय अर्थ व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कामगारों की एक बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2007-2008 एवं 2009-2010 के नेशनल सैंपल सर्वे अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर ने अनुमान लगाया है कि कुल कामगारों का 93-94% असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 50% से अधिक है।

असंगठित कामगारों की अधिक संख्या (लगभग 52 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, दूसरे बड़े क्षेत्र में निर्माण, लघु उद्योग, ठेकेदारों द्वारा बड़े उद्योगों में नियोजित कामगार, घरेलू कामगार, ऐसे कामगार जो जंगलों की पैदावार पर निर्भर हैं, मछली पालन एवं स्वतः रोजगार जैसे रिक्शा खींचना, ऑटो चलाना, कुली आदि शामिल हैं।

असंगठित क्षेत्र की खास बात यह है कि वहां ज्यादातर श्रम कानून लागू नहीं होते हैं। इसमें काम करने वालों की दशा दयनीय है। न वे सुनिश्चित रोजगार पाते हैं, न उनको सही वेतन मिलता है और न ही उन्हें कोई कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। इस क्षेत्र में रोजगार हमेशा नहीं होता एवं इसलिए काम की कोई गारंटी नहीं होती।

वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं क्योंकि काम की स्थिरता नहीं होती एवं अक्सर उनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाती है। शहरों में वह झुग्गी में रहते हैं जहां घर एवं शौच का प्रबंध नहीं होता है। स्वास्थ्य सेवा एवं प्रसूति लाभ जो संगठित क्षेत्र में उपलब्ध हैं उनके लिए नहीं हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, औद्योगिक उपवाद अधिनियम 1947, उपदानसंदाय अधिनियम 1972, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्णउपबंध अधिनियम 1952 आदि में अधिनियमित विधियां वृद्धावस्था, स्वास्थ्य सेवा एवं सहायता, मृत्यु विवाह तथा दुर्घटना आदि की दशा में भी इन पर लागू नहीं होतीं। इन सारे तथ्यों का मतलब है कि आम तौर से शोषित जीवन जीने के लिए ये मजबूर हो जाते हैं।

मौजूदा विधि ढांचा : हालांकि जहां असंगठित क्षेत्र में नियोजन की श्रेणियां बड़ी संख्या में हैं, कार्य वातावरण हेतु प्रदान किये जाने वाले विधान इत्यादि केवल कुछ श्रेणियों में ही लागू किये गए हैं जैसे-

- ❧ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948
- ❧ बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) 1966
- ❧ अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त अधिनियम) 1979
- ❧ सिनेमा कर्मकार एवं सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन अधिनियम) नियम 1984
- ❧ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
- ❧ हस्त चालित खनिक नियोजन प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

1.5 असंगठित कामगारों के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार ने प्रभावशाली कानून असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के नाम से लागू किया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत कर्मकारों के हितों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समुचित प्रचार की आवश्यकता है।

विधिक सेवा प्रदान करने हेतु योजना

यहाँ ऊपर वर्णित विधानों का अधिनियमन, कामगारों के जीवन में कुछ सराहनीय परिवर्तन लाता हुआ प्रतीत नहीं होता है जिसके निम्नलिखित कारण हैं :-

- ❧ सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 वैधानिक तौर से योजना को लागू करने की कोई प्रक्रिया विहित नहीं करता है एवं ऐसा लगता है कि योग्य कामगारों को योजना के लाभ के लिए सम्बंधित प्राधिकरणों के इनकार के विरुद्ध स्वीकृति नहीं है।

- ❧ बहुत कम राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाए हैं एवं अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नियम बनाये हैं। नतीजा यह है कि कई राज्यों में कल्याण योजना नहीं चलायी जा रही है एवं जहां योजनायें हैं वहां उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। समानतः सारे राज्यों में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नहीं बनाये गये हैं एवं फलस्वरूप कोई सुरक्षा योजना भी इन कामगारों के लिए नहीं है।
- ❧ हालांकि कई राज्यों में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कर लिया जा रहा है, कर का उपयोग कामगारों के हित के लिए कम किया जा रहा है। उसका कारण कामगारों का कम पंजीकरण या पंजीकृत कामगारों के हितों का कम निस्तारण है।
- ❧ योजना एवं हितों का पर्याप्त प्रचार भी नहीं किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगार सामान्यतः अनपढ़ और संगठित न होने के कारण ज्यादातर योजना से अवगत नहीं है।
- ❧ कामगार सुविधा केंद्र जैसा कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में बताया गया है किसी भी राज्य द्वारा नहीं बनाये गए हैं।
- ❧ नियोक्ता या ठेकेदार पर किसी भी योजना के अंतर्गत कामगारों का पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी अधिरोपित नहीं है।
- ❧ प्रत्येक योजना के लिए अलग से पंजीकरण कराना पड़ता है जिसके कारण जरूरत पड़ने पर कामगारों को समस्त योजनाओं का हित प्राप्त करने में दिक्कत होती है। कामगार को स्वयं आवेदन देकर पंजीकृत होना पड़ता है और वे इसके लिए अक्षम हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है और प्रक्रिया भी जटिल है।
- ❧ इन योजनाओं का पंजीकरण सामान्यतः सहज सुलभ नहीं है और इसी कारण अधिकांश कामगार प्रवासी होने के कारण इस योजना का लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं और फलस्वरूप इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने में अनिच्छुक रहते हैं।
- ❧ विधिक सेवा संस्थाएं लागू करने वाले प्राधिकरण एवं लाभार्थियों के बीच की दूरी को कम करने में एक पुल का काम कर सकती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने नालसा की केंद्रीय प्राधिकरण की बैठक जो 08.12.2010 को हुई थी, में एक योजना को अपनाया है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र में कामगारों को विधिक सेवा) योजना, 2010 है।
- ❧ जरूरतमंद कामगारों के हितों के लिए कानून बनने के कई वर्षों के बाद भी इन्हें उनका फल प्राप्त नहीं हुआ है व यह समस्या विकट है जिसके कारण तथा इस क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान संशोधित योजना इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही है।

उद्देश्य

- ❧ सभी असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना।
- ❧ सरकारी प्राधिकरण से सहयोग कर तथा जनहित याचिका द्वारा विधान/क्रियान्वयन में दूरी को समाप्त करना।
- ❧ राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की व्यवस्था का इस्तेमाल सभी वर्गों के असंगठित कामगारों की पहचान कराना व उन्हें पंजीकृत कराना तथा सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुँचाना।
- ❧ नियोक्ताओं को वैधानिक प्रावधानों तथा कामगारों को कार्य हेतु अच्छा वातावरण, आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना।
- ❧ कामगारों में वर्तमान विधान एवं योजनाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता के बारे में सूचना फैलाना।
- ❧ असंगठित क्षेत्रों के सभी वर्गों के कामगारों की अनेक वर्ग के लिए उपलब्ध योजनाओं के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में उनके पंजीकरण के लिए सहायता एवं सलाह देना।
- ❧ कामगारों को योजना के लाभों को प्राप्त करने में सहायता देना जिनके लिए वे अपनी जरूरत/ योग्यता के अनुसार पंजीकृत हैं।

मार्गदर्शक सिद्धांत

सभी विधिक संस्थानों द्वारा असंगठित कामगारों के लिए योजना लागू करते समय निम्नलिखित सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा।

- 1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा व अवसर की समानता सुनिश्चित करती है तथा उनके गौरव का सम्मान करते हुए उनके बीच भाई-चारे को बढ़ती है। अनुच्छेद 42 में आदेशित है कि राज्य कार्य के लिए न्यायोचित एवं मानवीय स्थिति तथा मातृत्व लाभों को सुरक्षित रखने हेतु प्रावधान बनाएगी। अनुच्छेद 43 द्वारा, राज्य सभी कामगारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करते हुए कार्य स्थिति तथा पूर्ण मनोरंजन, अवकाश, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करेगी।
- 2 प्रत्येक नागरिक के गौरव को बनाये रखने का उद्देश्य वचन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि एक कामगार का गौरव सुनिश्चित नहीं किया जाता।
- 3 असंगठित क्षेत्र समाज के उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है तथा वे देश के नागरिक होने के कारण काम का अधिकार, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य व्यवस्था, निर्वाह, मजदूरी, मातृत्व लाभ तथा उचित जीवन स्तर के समान रूप से हकदार हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए यह वैधानिक आदेश है कि वह संवैधानिक सुनिश्चितताओं को वास्तव में उपलब्ध कराये। विधिक सेवा प्राधिकरणों को प्रशासनिक निष्क्रियता के प्रतिहित प्रहरी के रूप में कार्य करना होगा।
- 4 सरकार द्वारा विधानों/अथवा योजनाओं आदि के रूप में किये गए कल्याण कार्यों में उद्दिष्ट लाभार्थियों अथवा पीड़ितों को उनके अधिकारों व योग्यताओं को हासिल करने के लिए व्यवस्था का इस्तेमाल करने की जरूरत है। असंगठित क्षेत्र के कामगार समाज के वंचित एवं असुरक्षित क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं तथा वे व्यवस्था का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं होते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह न्याय प्राप्ति तक उनकी पहुंच स्थापित करने में सहायता करे।
- 5 असंगठित क्षेत्र के कामगारों के वर्गों की बड़ी संख्या, प्रत्येक वर्ग में बहुत बड़ी जनसंख्या तथा बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उनके फैलाव के कारण उन तक विधिक सेवा पहुंचाने के लिए परियोजनाबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है। उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था, वचनबद्ध कार्यबल तथा लगातार प्रयासों को लम्बे समय तक करने की जरूरत है।

असंगठित कामगारों की पहचान

- 1 विधिक सेवा संस्था का पहला काम उनके क्षेत्र में असंगठित कामगारों की संख्या एवं उनके वर्गों का राज्यों के सामाजिक कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता लगाना है। आवश्यकता पड़ने पर स्वयं या विधि विद्यार्थियों या उस क्षेत्र के एन.जी.ओ. की सहायता से सर्वेक्षण किया जा सकता है।
- 2 पहचान करने की विधि में, विशेष कोशिश इस बात की भी की जाए कि कहीं कोई बाल श्रमिक या बंधुआ मजदूर हो तो उसकी भी पहचान की जाए एवं अगर इन प्रतिबंधित वर्गों का कोई कामगार पाया जाए तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसे सम्बंधित प्राधिकरण को सूचित करे एवं उनके बचाव में सहायता करे, उन्हें रिहा कराने एवं उनके पुनर्वास हेतु पहल करे जैसाकि बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में उपबंधित किया गया है।
- 3 राज्य प्राधिकरण क्षेत्र, आबादी एवं दूसरे अंश के आधार पर सारे वर्गों की पहचान के लिए एक समय सीमा बांध सकती है।

विशेष सेलों की स्थापना :

- 1 इस क्षेत्र में कामगारों को उपयोगी विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण एक विशेष सेल बनाएगा जो अलग से केवल इसी सेवा पर नजर रखेगा। सेल में एक पैनल अधिवक्ता जो श्रम विधि में विशेष अनुभव रखता हो, एक सलाहकार जिसके पास आवश्यक योग्यता सम्बंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो, जहां तक संभव हो, किसी एन.जी.ओ. का प्रतिनिधि जिसका इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य हो, होंगे तथा ऐसी संख्या में अर्धविधिक स्वयंसेवी होंगे जैसा कि राज्य प्राधिकरण निर्धारित करे।

विशेष सेल के निम्न कार्य होंगे -

- (i) असंगठित कामगारों के लिए सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम, कानूनी अभिज्ञता / साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना एवं चलाना।

- (ii) असंगठित कामगारों को योजनाओं का लाभ दिलाने व पंजीकरण के सम्बन्ध में सरकारी प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना।
- (iii) असंगठित कामगारों को योजनाओं के हित प्राप्त करने हेतु फार्म भरवाने में सहायता प्रदान करना एवं पंजीकरण फार्म भरने एवं योजनाओं के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने में सहायता।
- (iv) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके दावे में कानूनी सलाह व कानूनी सहायता देना जो उन्होंने किसी न्यायालय या प्राधिकरण में संस्थित किया हो।
- (v) अन्य कोई कार्य जो राज्य प्राधिकरण उनके लिए नियत करे।
- (vi) विशेष सेल सदस्य सचिव की सलाह या राज्य प्राधिकरण द्वारा नामांकित किसी दूसरे अधिकारी की सलाह से काम करेगा तथा सौंपे गये कार्यों की प्रगति की एक आवधिक रिपोर्ट विशेष सेल द्वारा फाइल की जायेगी।
- (vii) सेल के सदस्यों को उनके द्वारा किये गए कार्यों का मानदेय दिया जाएगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का कर्तव्य

- ❧ जहां भी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नहीं बनाया गया है वहां एस0एल0एस0ए0 राज्य सरकार की सहायता ले तथा आवश्यकता होने पर माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के अनुमोदन से जनहित याचिका दायर कर इन्हें बनायेगी।
- ❧ राज्य प्राधिकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के साथ मिलकर सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा लिये गये कर सावधि जमा में न पड़े रहकर जरूरतमंद कामगारों के हित में इस्तेमाल हो।
- ❧ राज्य प्राधिकार अपने राज्य में चल रही असंगठित क्षेत्र की योजनाओं को तर्कसंगत कराने के लिए राज्य सरकारों को कहेगी तथा आवश्यकतानुसार माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के अनुमोदन से जनहित याचिका के माध्यम से भी यह कार्य करायेगी।
- ❧ योजनाओं की जानकारी हेतु सघन तौर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जायेंगे। बुकलेट, पम्पलेट तथा रेडियो, टी0वी0 के माध्यम से भी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा।
- ❧ राज्य प्राधिकार पी0एल0वी0 के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी।
- ❧ राज्य प्राधिकार राज्य के श्रम विभाग से 2005 अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत दिये गये कामगारों के लिए सहायता केन्द्र स्थापित करने के लिए सहयोग करेगा। वे विधिक सेवा केन्द्र भी स्थापित कर सकते हैं जिन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित पी0एल0वी0/एन0जी0ओ0 चलायेंगे।
- ❧ राज्य प्राधिकार तथा असंगठित क्षेत्र के लिए गठित विशेष सेल नियोक्ताओं को उनके कानूनी कर्तव्यों तथा कामगारों की वास्तविक जरूरतों की पूर्ति के लिए सेमिनार आयोजित करेगी।
- ❧ राज्य प्राधिकार हस्तचालित खनिक नियोजन प्रतिषेध व उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा-13 में जो कामगारों के पुनर्वास का प्रावधान है तथा ऐसा ही पुनर्वास अन्य कानूनों में भी है, उनका कार्यान्वयन के लिए सहयोग करेगी एवं स्वयं या एन0जी0ओ0 के सहयोग से पूर्व हस्तचालित खनिकों के लिए पुनर्वास योजना बनाने में सहयोग करेगी।
- ❧ असंगठित कामगारों के लिए गठित विशेष सेल, सभी असंगठित कामगारों के लिए किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष विधिक सहायता उपलब्ध करायेगा।
- ❧ राज्य प्राधिकार विधि विद्यार्थियों व उपयुक्त एन0जी0ओ0 के साथ मिलकर कामगारों के लिए उपयुक्त कार्य वातावरण के लिए अभियान चला सकती है।

□□□

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 - संक्षिप्त परिदृश्य

योजना क्यों

दिल्ली में, 16 वर्ष का बच्चा X मोबाइल फोन चुराने का अभियुक्त है। मुम्बई में, 12 वर्ष का बच्चा Y यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित है। कलकत्ता में Z के माता-पिता उसकी अभिरक्षा हेतु संघर्ष कर रहे हैं। चेन्नई में 13 वर्षीय बच्चा S एक फैक्ट्री से छुड़ाया गया जो तस्करी का शिकार है। प्रत्येक दिन बच्चे इसी तरह न्याय प्रणाली के संपर्क में आते हैं, जहाँ औपचारिक एवं अनौपचारिक न्याय प्रदाता निर्णय देते हैं जो उनके भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन बच्चों के क्या अधिकार हैं जब वे विधि के संपर्क में आते हैं? क्या वे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के हकदार हैं? यदि ऐसा है तो वह सेवाएँ कैसे उपलब्ध कराई जाएंगी और आवश्यकता एवं आपदा की परिस्थिति में क्या बच्चों तक पहुँच सकेंगे? कैसे विधिक सेवाएँ 'शिशु अनुकूल' बनाई जायेंगी जब तक तर्कगत एवं आर्थिक रूप से इतनी बाधाएँ हैं? कैसे शिशु अनुकूल न्याय की परिकल्पना अनौपचारिक न्याय व्यवस्था में भूमिका अदा करती है? इस योजना का प्रयोजन इन समस्याओं को सुलझाने हेतु एक परिकल्पित एवं कार्यशील पद्धति का सुझाव देना है जिसका अंतिम लक्ष्य 'जमीनी स्तर' पर बच्चों को सार्थक, प्रभावी, उपयोगी एवं आयु संगत विधिक सहायता प्रदान करना है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं :-

- (i) बच्चों तक पहुँचाने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रूपरेखा बनाना।
- (ii) बच्चों की देख-भाल एवं संरक्षण और सभी स्तरों पर बच्चों के कानूनी झगड़ों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना।
- (iii) विधिक सेवाएँ, संस्थागत देखभाल, परामर्श एवं राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका के स्तरों पर सहयोग सेवाओं को दृढ़ करना।
- (iv) किशोर न्याय प्रणाली में एक माहौल तैयार करना जिसमें बच्चों को महत्व दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए और उनके अधिकारों को सम्मान दिया जाए और उनसे एक वैयक्तिक विशिष्टता के साथ व्यवहार किया जाए।
- (v) समस्त पदाधिकारियों जिनमें अर्धविधिक स्वयंसेवी, पैनल अधिवक्ता परामर्शकर्ता, सेवा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय निकाय, पुलिस, न्याय विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभाग शामिल होंगे, की सभी स्तरों पर क्षमताओं का संवर्धन करना ताकि वे बाल मित्रवत विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लें।
- (vi) यह सुनिश्चित करना कि अनिवार्य प्राधिकरणों एवं संस्थानों जैसे कि किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों, अन्य कल्याणकारी समितियों, अवलोकन तथा आश्रयग्रह, मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा नर्सिंगहोम, आयोगों, परिषदों, परिवीक्षा अधिकारियों के कार्यालय आदि, विभिन्न बाल मित्र विधानों के अंतर्गत स्थापित हों।
- (vii) बाल कल्याण एवं सुरक्षा के लिए उपलब्ध वर्तमान केन्द्रीय तथा राज्य परियोजनायें नीतियाँ, विनियम, एस.ओ. पी. स., पुलिस निदेशों, सम्मेलनों, नियमों, घोषणाओं, टिप्पणियों और रिपोर्टों आदि आंकड़ों का संचय करना।
- (viii) बाल अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा पर उपलब्ध बाल सुरक्षा सेवाओं, परियोजनाओं और सभी स्तरों पर ढाँचों के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को शिक्षित करने के लिए सभी हित धारकों अर्थात् अर्धविधिक स्वयंसेवी, किशोर न्याय परिषद् के सदस्य एवं बाल कल्याण समिति, कल्याण अधिकारियों, पुलिस, लोक अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न घरों के देखरेख करने वाले, शैक्षणिक एवं चिकित्सक संस्थानों आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- (ix) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एस.जे.पी.यू., जे.डब्ल्यू.ओ.एस., पैनल अधिवक्तागण, अर्ध विधिक स्वयंसेवी, किशोर न्याय परिषद् के सदस्यों, कल्याण अधिकारियों, सलाहकारों, परिवीक्षा अधिकारियों, लोक अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न घरों के देख-रेख करने वालों के लिए कौशल विकास तथा उनमें उत्तरदायित्व का अहसास जगाने के लिए प्रशिक्षण, अभिविन्यास और संवेदीकरण हेतु कार्यक्रमों का आयोजन तथा व्यवस्था करना।
- (x) विधिक तथा बाल अधिकारों एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के बारे में सम्मेलनों, औपचारिक वार्तालाप, कार्यशालाओं एवं सभाओं का आयोजन करना।
- (xi) सभी सरकारी निकायों या पदाधिकारियों, संस्थानों, प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सम्बंधित संगठनों या जिन्हें बाल अधिकारों से सम्बंधित जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी हैं, के बीच में प्रभावी समन्वय और संपर्क विकसित करना।
- (xii) विभिन्न परियोजनाओं, कानूनों आदि पर अध्ययन कर अनुसंधान और प्रलेखन करना, उनमें कमियाँ खोजना तत्पश्चात् उपयुक्त प्राधिकरणों को सुझाव देना।

प्रमुख सिद्धांत जिन्हें विधिक सेवा संस्थानों को सभी स्तरों पर अपने ध्यान में रखना चाहिए :-

बालक के सर्वोत्तम हित:-

यह प्रत्येक ऐसे बालक, जिसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है तथा जो कानून के साथ संघर्ष में हैं का अधिकार है कि विधिक सेवाएं प्रदान करते समय, उसके अधिकारों को सर्वोत्तम महत्व दिया जाए।

बाल कल्याण :-

अन्य सभी बातों के बावजूद बाल कल्याण हमेशा प्राथमिक होगा। बाल कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए त्वरित हस्तक्षेप तथा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।

सम्मान का अधिकार :-

प्रत्येक बालक को यह अधिकार है कि उसके साथ सम्मान एवं दया तथा करुणा का व्यवहार किया जाए एवं वह इसके योग्य है कि उसका सम्मान तथा सुरक्षा की जाए।

समानता एवं पक्षपात न किये जाने का अधिकार :-

बालक की जाति, वंश, धर्म, विश्वास, आयु, परिवार स्तर, संस्कृति, भाषा, नस्ल, अशक्तताओं यदि कोई हो अथवा जन्म स्थान को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक बालक के साथ किसी भी पक्षपात का व्यवहार नहीं किया जाएगा।

सुनवाई के अधिकार का सिद्धांत :-

प्रत्येक बालक सूचित किये जाने, सुने जाने का अधिकार रखता है एवं अपने विचार एवं चिंताओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करने का अधिकार रखता है।

सुरक्षा के अधिकार का सिद्धांत :-

प्रत्येक बालक समस्त स्तरों पर सुरक्षा का अधिकार रखता है एवं वह किसी हानि, शोषण, उपेक्षा आदि से ग्रस्त नहीं किया जा सकता।

गोपनीयता का सिद्धांत :-

किसी बालक की गोपनीयता विधिक सेवा संस्थानों के समस्त स्तरों पर सुरक्षित की जायेगी।

योजना के उद्देश्य प्राप्ति हेतु कार्य कार्ययोजना

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक जिले में बाल न्याय परिषद् नियमित न्यायालय से पृथक् रूप से स्थापित किया जाए और जहां ऐसा कोई परिषद् स्थापित न हो राज्य विधिक सेवा परिषद् इसे अति आवश्यक आधार पर राज्य सरकार तक ले जाएगा ताकि बाल परिषद् प्रत्येक जिले में स्थापित हो सके।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियां स्थापित की जाएं तथा जहां ऐसी समितियां गठित नहीं हैं वहां राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण यह मामला राज्य सरकार के समक्ष अविलम्ब उठाएगा ताकि प्रत्येक जिले में समिति का गठन हो सके।
- किशोर न्याय अधिनियम में यह अनुज्ञात है कि विधि के विरोध में किशोरों से व्यवहार करने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाये। प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम एक पुलिस अधिकारी जिसे विशेष रूप से निर्देश तथा प्रशिक्षण दिया गया है, को किशोर/बालक कल्याण अधिकारी से पद नामित किया जाए जो किशोरों से व्यवहार करेगा (धारा 63, जे. जे. अधिनियम एवं जे. जे. नियमों का नियम 11)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ स्थापित हों।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पद नामित किशोर कल्याण अधिकारियों तथा राज्य किशोर पुलिस इकाइयों के सदस्यों के नामों तथा संपर्क विवरणों की सूची राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में मुख्य रूप से दर्शित हो।
- किशोर न्याय अधिनियम की धारा 62 ए के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार एक बाल सुरक्षा इकाई का गठन प्रत्येक राज्य के लिए करेगी तथा प्रत्येक जिले के लिए संरक्षण अथवा देखभाल की आवश्यकता के लिए बालकों से सम्बंधित मामले प्रत्येक जिले में देखेगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बाल संरक्षण इकाई की स्थापना हो जाये।

संप्रेक्षण एवं आश्रय गृह

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कितनी संस्थाएं अर्थात् किशोर घर, आश्रय गृह एवं सम्प्रेक्ष गृह राज्य में अपराधी किशोरों की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे हैं का अद्यतन अभिलेख रखेगा।

- ❧ यदि कोई देखरेख एवं सुरक्षा वाले बच्चों हेतु संस्थाएं यदि पंजीकृत नहीं हो तो वह बंद कर दी जायेंगी अथवा राज्य सरकार द्वारा ले ली जायेंगी। रि: तमिलनाडू राज्य के अनाथ आश्रमों में बच्चों का शोषण बनाम भारत संघ (UOI) एवं अन्य (2014) 2 SCC 180। इस सन्दर्भ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार तक मामले को ले जायेगा ताकि अपंजीकृत संस्थाओं के विषय में आवश्यक कार्य किया जा सके।
- ❧ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत संप्रेक्षण गृह, आश्रय गृह एवं किशोर देखरेख गृह पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों ताकि विधि के साथ संघर्ष में बालकों तथा देखरेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालकों को उनमें रखा जा सके।
- ❧ प्रत्येक राज्य विधिक प्राधिकरण 'संप्रेक्षण एवं किशोर गृह समिति' का गठन करेंगे। राज्य के प्रत्येक जिले के पूर्णकालिक सचिव अध्यक्ष के रूप में होंगे तथा एक पैनल अधिवक्ता और परिवीक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। गठित समिति, जिले में स्थित प्रत्येक घर में माह में कम से कम एक बार अपना भ्रमण करने के बारे में समयावली बनायेगी।
- ❧ मुख्य रूप से समिति का कार्य यह देखना होगा कि संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और बाल गृह बाल मित्रतापूर्ण हैं और यह कारागार या हवालात की तरह नहीं हैं और इनमें बेहतर किस्म की देखरेख व सुविधाएँ मौजूद हैं। इनमें स्वच्छता और सफाई, कपड़े और बिस्तर, भोजन और आहार, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ समन्वय व स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख संधारण इत्यादि की समस्त सुविधायें मौजूद हैं। यदि समिति द्वारा कुछ भी कमी पाई जाती है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बंधित पदाधिकारी के समक्ष उनकी ओर से मामला उठाएगा और आगे की कार्यवाही करेगा।

विधिक सेवा क्लिनिक

- ❧ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के प्रत्येक जिले में विधिक सेवा क्लिनिक प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति में स्थापित करेगा।
- ❧ विधिक सेवा क्लिनिक के खुलने के बारे में तथा सम्बंधित दूरभाष एवं क्लीनिकों के पतों के बारे में समस्त सरकारी निकायों, विभागों जिनमें, पुलिस गैर सरकारी संस्थाएं सम्मिलित हैं, को सूचित किया जायेगा।
- ❧ ऐसे विधिक सेवा क्लीनिकों में पी.एल.वी. संलग्न किये जायेंगे।
- ❧ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य, जिला तथा तालुका सेवा स्तर पर अपने सभी कार्यालयों में दूरभाष नंबर एवं क्लीनिक की अन्य सूचना प्रदर्शित करेगा।
- ❧ स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियमन, 2011 में दिए गए उनके कार्यों, आधारभूत सुविधाओं, रिकार्ड और रजिस्टर का रख-रखाव, पैनल अधिवक्तागण का दौरा, अर्धविधिक स्वयंसेवी की प्रतिनियुक्ति तथा ऐसे क्लिनिकों पर नियंत्रण द्वारा शासित किये जायेंगे।
- ❧ समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्राचार्य के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में जिले के प्रत्येक विद्यालय में विधिक साक्षरता क्लब की स्थापना करेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

- ❧ कानून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवक्तागण का एक प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध पैनल गठित करेगा जो कि बच्चों/किशोरों को समस्त मंचों अर्थात् किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों में उनका प्रतिनिधित्व करें ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर सार्थक तथा प्रभावी विधिक सेवाएँ प्राप्त हो सकें।
- ❧ राज्य सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों अथवा किशोरों को दी गई विविध सेवाएँ उच्च कोटि की हों और प्रभावी हों जिसके लिए किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति में सक्षम और समर्पित अधिवक्तागण का पैनल हो।
- ❧ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल अधिवक्तागण के कार्यों की निगरानी एवं निरीक्षण करेगा और आकस्मिक निरीक्षण का तंत्र तैयार करेगा।
- ❧ पैनल अधिवक्ता को उनका पारिश्रमिक, किये गये कार्य की रिपोर्ट जो किशोर न्याय परिषद् अथवा बाल कल्याण समिति जहाँ पर पैनल अधिवक्ता तैनात किया गया हो, द्वारा प्रति हस्ताक्षर के आधार पर दिया जाएगा।
- ❧ राज्य विधिक सेवा परिषद्, विधिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता तथा किशोर न्याय परिषदों तथा बाल कल्याण समितियों में स्थापित विधिक सेवा क्लीनिक के मध्य प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करेगा ताकि प्रत्येक बालक का कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व हो और निःशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य आवश्यक समर्थन प्राप्त हो।

विधिक जागरूकता

- समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, छोटी पुस्तके/पर्चे/बच्चों के अधिकारों से संबंधित उपलब्ध योजनाओं की जानकारी युक्त कानूनी सेवा पुस्तिका छापेगा/ छोटी पुस्तिकाएं/पर्चे/विधिक सेवा पुस्तिका की प्रतियाँ सभी स्वागत कक्षों, विधिक सेवा क्लिनिकों, किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों पुलिस थानों आदि में उपलब्ध कराई जाएगी।
- उपरोक्त विवरण से संबंधित जानकारी दूरदर्शन, आकाशवाणी, समुदाय रेडियो द्वारा फैलाई जाए।
- समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिक्षा संस्थानों, बाल संरक्षण अधिकार के लिये राज्य आयोग, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि के सहयोग से बाल अधिकारों तथा उनके संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएंगे।
- स्कूल तथा कालेज के छात्रों में बाल अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने के अन्य साधनों में निबंध प्रतियोगिताएँ, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएँ, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएँ, चित्रकला प्रतियोगिताएँ तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ हैं।
- अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों को बाल उपयुक्त संदेशों का प्रयोग करते हुए पोस्टरों के वितरण द्वारा एक प्रभावकारी सुगम्य अभियान बनाने के लिए कहा जाएगा।
- प्रत्येक बालक को उसके विधिक सहायता के अधिकार के बारे में सूचित करने के अतिरिक्त, विधिक सशक्तिकरण के लिए सहयोग एवं सहायता पैदा करना तथा विधिक सेवा प्रदाताओं के साथ असरदायक कार्यकारी सम्बन्ध बनाने के लिए समुदायों, जनता और निजी अभिकरणों तक पहुँचाना और इन्हें जोड़ना भी महत्वपूर्ण होगा।
- विधिक सेवा के जरूरतमंद कई बच्चे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों का, जहाँ वह रहते हैं, विधिक सेवाओं तक शारीरिक रूप से पहुँचना अक्सर असंभव लगता है। इस बाधा को दूर करने के लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसी जगह पर बच्चों को कई विधिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु मोबाइल क्लिनिक और एकल केंद्र कार्यक्रम सहित कुछ कदम उठाएगा।
- बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शुरुआती साक्षात्कार एवं जांचों को संचालित करने हेतु, परामर्श देने और बच्चों एवं उनके परिवार के बीच में कड़ी के रूप में काम करने हेतु प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नियुक्त अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों की सेवाएँ लेंगे।
- प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार के साथ मामलों पर चर्चा करेगी ताकि सभी स्कूलों के पाठक्रम में बाल अधिकारों को सम्मिलित किया जा सके, जिससे बच्चे अपने अधिकारों को जान सकेंगे।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357I एवं राज्य की कोई भी पीड़ित मुआवजा योजना में जुड़ गए नए प्रावधानों की जानकारी की जागरूकता का प्रसार करेगी ताकि बच्चों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध हो सके।
- प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवाओं पर निर्देशिका विकसित करेगी जो सभी मुख्य हिस्सेदारों पर तुरंत उपलब्ध होगी।
- प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चों के शिक्षा अधिकारों सहित अभिवावकों द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सभी स्तरों पर गहन विधिक जागरूकता अभियानों को आयोजित करेगी।
- बच्चों हेतु गैर-संस्थागत सेवाएँ जैसे गोद लेना, आर्थिक संरक्षण एवं पालन-पोषण आदि की उपलब्धता के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन स्वयंसेवी संस्थाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, जिनके पास विश्वसनीय प्रत्यय-पत्र होंगे एवं वह उन मामलों में लिप्त होंगे जिनमें बच्चों को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है।
- बाल श्रम की समस्या को खत्म एवं संविधान के जनादेश की प्रभावोत्पादकता हेतु, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडू राज्य प्रतिवेदिता (1996) 6 SCC 756 में अत्यधिक संख्या में आवश्यक निर्देश प्रदान किये हैं। उन निर्देशों में से एक महत्वपूर्ण निर्देश था जिसके अंतर्गत नियोजक को बालश्रम (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन में 14 वर्ष से कम के बालक को खतरनाक कार्य में लगाने पर रु. 20,000/- का मुआवजा देना है। समुचित सरकार को ऐसे प्रत्येक बच्चे को जो खतरनाक काम में कार्यरत है, रु. 5,000/- अनुदान के रूप में देने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त कथित रकम रु.25,000/- को कोष में जमा करना होगा जो कि बालश्रम-पुनर्वास सह-कल्याण कोष के नाम से जाना जाता है और ऐसे कोष की राशि, मुक्त कराएगा ये बच्चों के पुनर्वास में प्रयोग होगी। सभी विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस, श्रम विभाग एवं अन्य सम्बंधित प्राधिकरणों से उपरोक्त निर्देशों के पालन एवं मामले की आगे की कार्यवाहियों हेतु समन्वय करेंगे।

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची
नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप
से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं)
योजना, 2015 - संक्षिप्त परिदृश्य

सिद्धान्त

मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हुए, विधिक सेवा संस्थानों को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए :-

- 1. मानसिक बीमारी साध्य है:-**
विधिक सेवा संस्थानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक बीमारी उचित दवाई एवं देखरेख के साथ साध्य है।
- 2. मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति, मानसिक बीमार व्यक्ति नहीं हैं:-**
मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति, मानसिक अशक्तता के विकासात्मक विकारों के कारण पीड़ित है। मानसिक विकास में कमी (एम.आर) की प्रकृति स्थाई होती है और यह साध्य नहीं है। ठीक इसी तरह स्वलीनता (आटिज्म) और दिमागी पक्षाघात। यह सब, इसीलिए अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (अशक्तताग्रस्त व्यक्ति अधिनियम) धारा 2 के तहत अशक्तताग्रस्त व्यक्ति माने जाते हैं। मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधान हैं (i) अशक्तताग्रस्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 और (ii) स्वपरायणता (आटिज्म), प्रमत्तिक घात, मानसिक मन्दता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999
- 3. मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति सभी मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के हकदार हैं :-**
मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सेवाएं देते समय, विधिक सेवा संस्थान का यह मुख्य सरोकार होना चाहिए कि इन व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित एवं रक्षित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि वह अपने मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण और समान आनंद ले सकें।
- 4. मानसिकरूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की जन्मसिद्ध गरिमा के लिए सम्मान:-**
विधिक सेवा संस्थान को मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की जन्मसिद्ध गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता सहित स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ा देना चाहिए।
- 5. गैर पक्षपात-**
विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक रूप से बीमार तथा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ मात्र उनकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के कारण भेद-भाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ अत्यंत संवेदनशीलता और देखभाल के साथ व्यवहार करना चाहिए।
- 6. पर्याप्त आवास :-**
विधिक सेवा संस्थानों को ऐसे प्रावधानों को बनाना चाहिए जो मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आवास और उनको प्रदत्त किसी भी योजना, कार्यक्रम, सुविधा अथवा सेवा तक समान अभिगमन को सुनिश्चित करें।
- 7. मानसिक बीमार व्यक्तियों का उपचार प्राप्त करने का अधिकार :-**
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न उपचार एवं उचित स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार सभी मानसिक बीमार व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। मानसिक बीमार व्यक्तियों को जानकारी के अभाव के कारण या अंधविश्वास अथवा साधनों के अभाव अथवा कलंक इत्यादि से उपजे अवैध परिरोधा के कारण उपचार प्राप्त करने में वंचित रह जाते हैं। इसलिए विधिक सेवा संस्थानों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अध्याय-IV में लागू प्रावधानों के माध्यम से मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में उपचार की उपलब्ध सुविधाओं तक सुगमतापूर्वक अभिगमन कर सकें।
- 8. उपचार हेतु संसूचित सहमति :-**
विधिक सेवा संस्थानों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के उपचार केअध्यधीन हो, तो उसकी संसूचित सहमति प्राप्त कर लें। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सहमति देने में असक्षम है तो उसके रिश्तेदारों या मित्रों की संसूचित सहमति

होनी चाहिए और इनकी अनुपस्थिति में, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अध्याय V के भाग-II के तहत न्यायालय की संतुष्टि को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

9. मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के शोषण और उत्पीड़न की रोकथाम :-

मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों में खास तौर पर मानसिक अशक्तता से ग्रस्त महिलायें ऐसे अति संवेदनशील समूह हैं जिनका शोषण संभवतः अधिक होता है। इसलिए विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को उनके यौन उत्पीड़न सहित शोषण की रोकथाम करने में सहायता करनी चाहिए और दुर्व्यवहारियों एवं शोषकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी करनी चाहिए।

मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति और मानसिक बीमार व्यक्ति सामान्यतः अपनी मानसिक दशा की चुनौती के कारण सूचना का लाभकारी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें सर्वोत्कृष्ट विधिक साक्षरता प्रदान नहीं की जा सकती जो उन्हें न्याय प्राप्त करने में सशक्त बनाये। इसलिए, विधिक सेवा संस्थानों को विधि के सम्बन्ध में, उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं को, सामूहिकता के साथ-साथ वैयक्तिक आधार पर मूल्यांकन तथा परीक्षण करना चाहिए और ऐसी जरूरतों को विधिक सेवा देकर पूरा करना चाहिए।

मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों का विधिक सेवा

भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने हेतु, निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है :-

कारागारों में :-

- ❧ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दर्ज हो और एक माननीय न्यायाधीश को मामले के निपटान के लिए मनोनीत करना चाहिए, जैसे कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित है।
- ❧ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी कारागारों में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए.) अथवा उच्च न्यायालय द्वारा गठित कोई भी अन्य दल की सहायता के साथ निरीक्षण करेंगे अथवा उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या कारागारों में कोई मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति है और यदि हैं, तो उनके स्थानांतरण और उनके उपचार से सम्बंधित उच्च न्यायालय से तत्काल उचित निर्देश लेंगे।
- ❧ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए.) के साथ समन्वय करके मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों/परामर्शदाताओं का एक दल गठित कर कारागारों में दौरा करेंगे और कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य की हालत की जाँच करेंगे। दल द्वारा आवश्यक जाँच के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कैदियों के मनोवैज्ञानिकों अथवा मनोचिकित्सकों द्वारा उपचार को सुगम करने हेतु आवश्यक संशोधनात्मक कदम उठाएंगे।
- ❧ न्यायिक दण्डाधिकारी को यह भी चाहिए कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय को उन मामलों के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजें जिनमें जाँच पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा की जगहों पर भेजने तथा उसके बाद आगे पहल करने संबंधी कार्यवाही की गयी हो। ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जायेगी, तब उस पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कथित त्रैमासिक रिपोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के मनोनीत न्यायाधीश के ध्यान में लायी जाये और इस तरह उनसे सामान्य प्रकृति के मामलों में अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति के मामले में अथवा विवादों के सम्बंध में यथावश्यक निर्देश तथा आदेश प्राप्त किया जाये। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसा कोई भी आदेश अथवा निर्देश जारी होने की स्थिति में, सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान हेतु व उसके परिपालन का अनुवीक्षण सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचित करेगा, और ऐसे किसी भी आदेश या निर्देश के परिपालन में होने वाली अवमानना को मनोनीत न्यायाधीश के ध्यान में लाएगा।

मनोचिकित्सक अस्पताल, भवन और सुविधाएँ :

- ❧ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 37 के तहत, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार अथवा निजी संस्था द्वारा चालित, सभी मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों एवं ऐसे ही सुविधा केन्द्रों में, आगुन्तक बोर्ड का गठन करने के लिए अनुरोध करेगा जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव/पूर्णकालिक सचिव भी सदस्य होंगे। आगुन्तक बोर्ड को इन जगहों का नियमित दौरा कर के इन सुविधा केन्द्रों, भवनों या अस्पतालों में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन परिस्थितियों का मूल्यांकन करना होगा।
- ❧ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/आगुन्तक बोर्ड को इन अस्पतालों, भवनों एवं सुविधा केन्द्रों के रोगियों का पुनर्विलोकन करना चाहिए कि क्या यहाँ ऐसे उपचारित व्यक्ति हैं, जिन्हें उनके परिवार वाले वापस घर ले जाने के अनिच्छुक हैं अथवा वह खुद अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जब भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा आगुन्तक बोर्ड ऐसे रोगियों का पता लगाएँ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इनके प्रत्यावर्तन हेतु सभी कदम उठाने चाहिए, जिसमें उपचारित व्यक्ति का अपने परिवार के साथ प्रत्यावर्तन हेतु न्यायालय से आदेश लेने में विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी शामिल होगा।
- ❧ विधिक सेवा संस्थान, ऐसे मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों या सुविधा केन्द्रों का दौरा करते समय रोगियों, चिकित्सकों और स्टाफ के साथ बातचीत करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो बल पूर्ण दाखिले के पीड़ित हैं। ऐसे मामलों में, ऐसे व्यक्तियों को मनोचिकित्सक अस्पतालों या भवनों या सुविधा केन्द्रों से उनकी रिहाई हेतु विधिक सेवाएँ प्रदान की जायेगी।

- ❧ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों और सुविधा केन्द्रों में, मानसिक बीमार/मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवार वालों को मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों से सम्बंधित विधिक विषयों पर विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक सेवा क्लीनिक को स्थापित करना चाहिए।
- ❧ ऐसे विधिक सेवा क्लीनिक को अर्द्धविधिक स्वयंसेवकों एवं पैनल अधिवक्ताओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो ऐसे विषयों तथा व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील हों। न मानसिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में चिकित्सको, नर्सों एवं अन्य अर्द्ध चिकित्सा कर्मियों/प्रशासनिक स्टाफ को अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षित करना उचित रहेगा ताकि मानसिक बीमार, मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बेहतर विधिक सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता

मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को शासित करने हेतु दो अधिनियम हैं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट (स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानसिक गति में कमी और बहु अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों हेतु) अधिनियम 1999 दोनों अधिनियम दण्डाधिकारी अथवा स्थानीय स्तर समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा उचित आदेशों के पारित होने के पूर्व सुनवाई की अपरिहार्यता निरूपित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विधिक सेवा संस्थान इनमें अपने अर्द्ध -विधिक स्वयंसेवकों अथवा पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से सहभागिता अवश्य करें।

- ❧ यह विधिक सेवा संस्थान का कर्तव्य होगा कि वह न्यायालय में, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, या 28 के तहत ग्रहण आदेशों अथवा विचार करने हेतु कोई आवेदन डाला गया हो, में अपना प्रतिधारक / पैनल अधिवक्ता नियुक्त करें।
- ❧ विधिक सेवा संस्थान, सभी मामलों में ऐसे मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा के लिए संबंधित दण्डाधिकारी से आवेदन कर सकते हैं जिनके संबंध में ग्रहण अथवा उन्मोचन आदेश हेतु आवेदन दिया गया हो और जिस पर दण्डाधिकारी, विधिक सेवा संस्थान को नोटिस दिये जाने संबंधी आवेदनों पर कार्यवाही कर रहा हो।
- ❧ प्रतिधारक/पैनल अधिवक्ता, उन कथित मानसिक बीमार व्यक्तियों की दशा को सुनिश्चित करते हुए उसके रिश्तेदारों, मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंगहोम या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हुए उनकी परिस्थितियों के विवरण को जुटाएंगे, जिनके लिए न्यायालय में ग्रहण / रिहाई आदेश के आवेदन को डाला गया है। ताकि उचित आदेश प्राप्त हो सके।
- ❧ स्थानीय अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्थान मानसिक बीमार व्यक्तियों की एक सूची रखेंगे जिनके लिए न्यायालयों से ग्रहण आदेश पारित हुए हैं और संस्थान उन मानसिक बीमार व्यक्तियों का उन मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होमस जहाँ के लिए उन व्यक्तियों के निरूद्ध आदेश है, में उनके उपचार के विकास का भी अनुवीक्षण करेंगे।
- ❧ विधिक सेवा संस्थान सम्बंधित दंडाधिकारी का ध्यान, ऐसे मानसिक रोगी की ओर आकर्षित करेंगे जिसे ग्रहण आदेश के अनुसार मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होमस में भेजा गया है और जो उपचार पश्चात् भी वहीं निरूद्ध है।
- ❧ विधिक सेवा संस्थान, अपने अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों / पैनल / प्रतिधारक अधिवक्ताओं के माध्यम से, उपचारित स्वेच्छिक रोगियों की, धारा 18 के तहत अथवा किसी अस्वेच्छिक रोगी की मदद धारा 19 के तहत रिहाई के मदद आवेदन संस्थित करने में करेंगे।
- ❧ विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत क्लिनिक अथवा आगुन्तक बोर्ड के भाग रूप के माध्यम से मानसिक बीमार व्यक्तियों के दाखिलों का पता लगाते रहेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि प्रारंभिक 90 दिनों से अधिक की रोक केवल न्यायालय के आदेशों के कारण ही हुई हैं।
- ❧ सभी विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 20 के तहत, सभी मामलों पर यह भी नजर रखेंगे ताकि कोई भी उपचारित रोगी मनोचिकित्सक अस्पताल, भवन या सुविधा केन्द्रों में चूक से भी न रह जाए। संस्थान को रोगी के ठीक होते ही उसकी रिहाई के लिए आवेदन डाल देना चाहिए।
- ❧ विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 23 सह पठित धारा 25 के तहत, आवारा अथवा निसहाय मानसिक बीमार व्यक्तियों के मामलों पर नजर रखेंगे ताकि अधिनियम की धारा 28 के तहत दण्डाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को देखरेख में रखने की आवश्यकता का 10 दिन में पुनर्विलोकन सख्ती से किया जाए तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति समय से ज्यादा निरूद्ध न किया जाए जिसे अधिनियम की धारा 24 (2) (a) के तहत मानसिक बीमारी का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है।
- ❧ विधिक सेवा संस्थाएँ अपने विधिक सेवा क्लिनिक और अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी तथा पैनल / प्रतिधारक अधिवक्ता के माध्यम से रोगियों के डिस्चार्ज का ट्रैक रखेंगी और जब भी आवश्यक हो रोगी की तरफ से प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी अथवा गृहण आदेश पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र देने में सहयोग और सहायता करेंगे।
- ❧ अधिनियम की धारा 45 और 46 के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्त करने में विधिक सेवा क्लिनिक और अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी तथा पैनल/प्रतिधारण अधिवक्तागण भर्ती रोगियों को सहायता प्रदान करेंगे। अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार अपील फाइल करने में भी उन्हें सहयोग करना चाहिए।
- ❧ विधिक सेवा संस्थाएँ मनोबाधित व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत न्यायिक जांच कार्यवाही में भी शामिल होंगी। जिला न्यायाधीश से आवश्यक रूप से अनुरोध करेगी कि जब भी इनके समक्ष धारा 50 के अंतर्गत कोई आवेदन आये तो यह विधिक सेवा संस्थान को नोटिस जारी करें।

- जब धारा 53 के अंतर्गत व्यक्ति का कोई संरक्षक नियुक्त किया गया हो एवं/अथवा धारा 54 के अंतर्गत संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त किया गया हो अथवा अधिनियम की धारा 71 एवं धारा 79 के अंतर्गत भरण-पोषण का आदेश पारित किया गया हो तो विधिक सेवा संस्थाएँ प्रत्येक मुकदमें को पैरवी करेंगी एवं मनोबाधित व्यक्ति के हितों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक कार्य करेंगी।
- अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत जैसा कि प्रावधान है विधिक सेवा संस्थाएँ अपील करने में समस्त संभव सहयोग प्रदान करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ, विधिक सेवा क्लिनिकों एवं अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों के द्वारा, एवं विजिटर्स परिषद् के सदस्य को सम्मिलित करते हुए भ्रमण द्वारा यह सुनिश्चित करेंगी कि निवासियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो व जब भी ऐसे उल्लंघन सामने आएँ तो ये उच्च न्यायालय के समक्ष लाए जायें।
- जैसाकि स्वलीनता, सुमस्तिष्क पक्षाघात, मनोबाधयता एवं बहुल अशक्तता से ग्रस्त लोगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, 1999 एक व्यापक अधिनियम है जो मानसिक रूप से अशक्त लोगो को देख-रेख प्रदान करता है। इसमें मानसिक रूप से अशक्त लोगों के माता-पिता की देख-रेख में सहयोग को सम्मिलित करते हुए और संरक्षक की नियुक्ति द्वारा माता-पिता के देहांत के पश्चात मनोबाधित व्यक्तियों की देख-रेख एवं आर्थिक स्थिति का प्रबंध करना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि विधिक सेवा संस्थाएँ अधिनियम के विषय में लोगो को सूचित करे एवं इस का लाभ उठाने में उनका सहयोग करें। संरक्षक की नियुक्ति के मामले में अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी एवं विधिक सेवा क्लिनिक मनोबाधित व्यक्तियों एवं उनके परिवार की सहायता करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को उनके विरासत के अधिकार, संपत्ति रखने एवं आर्थिक अधिकारों का आनंद लेने को सुरक्षित करने में सहयोग करेंगी। मानसिक रोग एवं मानसिक अशक्तता से ग्रस्त लोग भी अन्य लोगो के जैसे चल एवं अचल सम्पत्ति की विरासत का अधिकार रखते हैं एवं अपने आर्थिक मामलो पर नियंत्रण रखने एवं बैंक ऋण, बंधक एवं अन्य आर्थिक लाभों को लेने का अधिकार रखते हैं जो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया जा सकता है अथवा किसी वैसे सहयोगी व्यक्ति द्वारा जो मानसिक रोग अथवा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के साथ कोई हित-भेद नहीं रखता हो। इसे साकार करने में विधिक सेवा संस्थाएँ समस्त विधिक सहायता प्रदान करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ अशक्तता वाले (सामान्य अवसर, अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण शिरकत) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत समस्त लाभों को उठाने में मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सहायता करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों एवं उनके परिवारों हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पता लगाएंगी और इन योजनाओं के अंतर्गत लाभों को उठाने में विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक रूप से आशक्त व्यक्तियों एवं उनके परिवारों की सहायता करेंगी।

बेसहारा, बेघर और निःसहाय मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता

विधिक सेवा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले कदम

- विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 24 या 25 के तहत मानसिक बीमार व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे पेश करने में सक्षम संवेदक तथा संवेदनशील विधिक सेवा अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करना चाहिए जो दण्डाधिकारी को मानसिक बीमार व्यक्ति के कल्याण हेतु आदेश देते समय सहायता प्रदान कर सके।

जागरूकता एवं संवेदनशीलकर्ता कार्यक्रम

- विधिक सेवा संस्थाएँ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि लोगो को शिक्षित किया जा सके कि मानसिक रोग उपचार योग्य है और मानसिक रोग अथवा मानसिक अशक्तता से कोई कलंक जुड़ा हुआ नहीं है।
- विधिक सेवा संस्थाएँ समाज में मानसिक रोगियों के साथ भी अन्य लोगो के जैसे सामान्य व्यवहार की आवश्यकता बतायेंगी। ऐसे विशेष विधिक जागरूकता शिविरों में मनोचिकित्सकों, अधिवक्तागण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, शिविर में आए लोगो की मानसिक रोग एवं मानसिक अशक्तता के विषय में भ्रम व भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ ऐसे शिविरों में जनता-जनार्दन को एवं उनके परिवार वालों को मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों से सम्बंधित संपत्ति एवं उनके अन्य विधिक अधिकार तथा विधि के अन्य प्रावधानों के विषय में शिक्षित करेंगी।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ज्यूडिसियल अकादमी के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम संयोजित कर सकते हैं ताकि न्यायिक अधिकारियों को मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों एवं उनके माता-पिता, रिश्तेदारों एवं परिवार सदस्यों द्वारा झेले गये सामाजिक एवं विधिक समस्याओं के सम्बन्ध में संवेदनशील बनाया जा सके।
- ऐसे ही कार्यक्रम विधिज्ञ परिषदों के सहयोग से भी संयोजित किये जा सकते हैं ताकि पैनल अधिवक्तागण एवं विधिक व्यवसाय के अन्य सदस्य को संवेदनशील बनाया जा सके।
- विधिक सेवा संस्थाएँ स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं से मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क स्थापित करेंगी।

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची

नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 - संक्षिप्त परिदृश्य

पृष्ठभूमि

यह योजना इस आधार पर बनाई गई है कि गरीबी एक बहुआयामी अनुभव है और केवल आय सम्बंधित समस्याओं तक सीमित नहीं होती है। बहुआयामी गरीबी, स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करते हुए), घर, आहार, रोजगार, पेंशन, मैत्रिक देखरेख, शिशु-भरण, पानी, शिक्षा, सफाई, सहायता एवं मौलिक सेवाओं, सामाजिक निष्कासन, पक्षपात इत्यादि जैसी समस्याओं को शामिल किये हुए है। आगे, राज्य एवं जिला स्तर पर विशेष योजनाओं को लागू करने हेतु पहचान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार से अपेक्षित है कि वो इस तथ्य का संज्ञान रखें कि भिन्न निर्बल एवं पिछड़े समूह गरीबी का अद्भूत ढंग से अनुभव करते हैं। यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी की वजह से मानवीय गरीमा से जीने पर आंच न आये।

योजना का लक्ष्य

योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं:-

- ❖ समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को दिए गए लाभों एवं मौलिक अधिकारों तक पहुंच को सुनिश्चित करना।
- ❖ गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लेने में अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा तालुका स्तरों पर विधिक सहायता एवं सहयोग सेवा को सशक्त बनाना।
- ❖ जिला प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों, पैनल अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्द्धविधिक स्वयंसेवी तथा विधिक सहायता क्लिनिक के छात्रों द्वारा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाना।
- ❖ समस्त प्रभावी केंद्रीय अथवा राज्य योजनाओं, नीतियों, विनियमों, नीति-निर्देश, परम्पराओं, नियमों एवं प्रतिवेदनों का, जो गरीबी उन्मूलन योजना के संबंध में उपलब्ध हो, साथ ही इन योजनाओं पे नवीनतम निधि जानकारीयों का लेखा तैयार करना।
- ❖ पैनल अधिवक्तागण, अर्द्धविधिक स्वयंसेवकों, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अधीन अधिकारियों, विधिक सहायता क्लिनिक के स्वयंसेवकों हेतु प्रशिक्षण एवं दिग्विन्यास कार्यक्रम का उपबंध एवं आयोजित करना ताकि उनका हुनर बढ़ाया जा सके और उनके अन्दर इस योजना को लागू करने हेतु इससे जुड़ने का गहरा सद्भाव पैदा हो सके।

- ❖ समस्त सरकारी निकायों अथवा पदाधिकारियों, संस्थाओं, अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं जो समाज के सामाजिक/आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के कल्याण से सम्बंधित जिम्मेदारियां लिए हुए हैं उनके बीच प्रभावी सम्बन्ध एवं संपर्क बढ़ाना।

गरीबी उन्मूलन योजनाओं की पहचान

प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, राज्य में लागू वर्तमान तथा सक्रिय गरीबी उन्मूलन योजनाओं की पहचान करेगा तथा इसकी एक सूची प्रत्येक बारह माह में राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को उपलब्ध करायेगा। सूची में निम्न शामिल होंगे:-

- (क) उस राज्य में लागू गरीबी उन्मूलन योजनाओं के साथ-साथ विशेष जिले जिनमे वह लागू है।
 - (ख) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत आशयित लाभार्थी।
 - (ग) योजना के अन्तर्गत प्राधिकारी अथवा अधिकारी के नाम।
 - (घ) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुंच हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची जैसा कि प्रत्येक के अंतर्गत पहचान की गई है।
 - (ङ) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत लाभ जैसा कि उनमें से प्रत्येक के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
 - (च) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा, जैसा भी मामला हो, विशेष वर्ष हेतु प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजना के लिए आवंटित की गई निधि की राशि,
2. प्रत्येक जिले का नाम जहां विशेष वर्ष हेतु गरीबी उन्मूलन योजना लागू की जानी है।
 3. उपखंड (1) के अंतर्गत तैयार की गई सूची की प्राप्ति पर, इस सूची की प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर निम्न को सूची की प्रतिलिपि भेजेगा:-
 - (अ) जिले का समस्त तालुका विधिक सेवा समितियां
 - (आ) जिले के समस्त ग्राम पंचायतों
 - (इ) विधिक सेवा क्लिनिक में कार्य करने वाले लोगों, पंचायत सदस्यों, विधि छात्रगण एवं अन्य अर्द्ध विधिक स्वयंसेवकों जो योजना को लागू करने में सहायता देने हेतु तत्पर हों।

जागरूकता कार्यक्रमों का संयोजन

- ❖ राज्य प्राधिकरण संप्रक्त जिला प्राधिकरण के सहयोग से जिले में उपलब्ध भिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जागरूकता

कार्यक्रमों को संयोजित करने हेतु कदम उठाएगा। तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा भी पंचायत सभाओं, टाउन हाल सभाओं, पल्स पोलियो शिविर, त्यौहार गोष्ठियों अथवा अन्य ग्राम गोष्ठियों में गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुंच हेतु उपलब्ध विधिक सेवाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कदम उठाए जायेंगे।

विधिक सहायता प्राधिकारीगण एवं अर्ध-विधिक स्वयंसेवी

1. इस योजना के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जिला प्राधिकरण एवं तालुक विधिक सेवा समिति न्यूनतम तीन पैरल अधिवक्ताओं को विधिक सहायता अधिकारी के रूप में पद नामित करेंगे।
2. अधिवक्तागण के पैरल, विधिक सेवा क्लिनिक में कार्यरत सदस्यों, पंचायत सदस्यों, विधि छात्रगण एवं अन्य अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों को योजना को लागू करने में सहयोग देने एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले लोगों की आवश्यकताओं के विषय में संवेदनशील बनाने और उन्हें गरीबी उन्मूलन योजनाओं द्वारा क्या-क्या लाभ उपलब्ध होने वाले हैं ये बताने हेतु जिला प्राधिकरण विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयोजन करेंगे।

गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुंच हेतु विधिक सहायता

गरीबी उन्मूलन योजना तक पहुंच चाहने वाले सभी योजना लाभार्थियों को विधिक सहायता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत विधिक सहायता प्राधिकारीगण एवं स्वयंसेवकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं में, अन्य बातों के साथ, निम्न सम्मिलित हैं:-

1. योजना लाभार्थी को प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजना, जिसका वो हकदार है और उसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ के विषय में सूचित करना,
2. किसी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में योजना लाभार्थियों की सहायता करना,
3. किसी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु संपर्क किये जाने वाले पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी का नाम एवं पते की सूचना योजना लाभार्थी को देना।
4. किसी भी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत संपर्क किए जाने वाले पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के कार्यक्रम तक योजना लाभार्थियों के साथ अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों अथवा विधिक सेवा क्लिनिक के सदस्यों को भेजने का प्रस्ताव रखना।
5. योजना लाभार्थी को सूचित करना कि वो विधिक सहायता अधिकारी अथवा अर्ध-विधिक स्वयंसेवी को

किसी भी गरीबी उन्मूलन योजना से जुड़े पद नामित किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के विषय में शिकायत करने का विकल्प रखता है जो योजना लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभों को उपलब्ध करने में जिसका वो हकदार है उसका सहयोग करने से इंकार कर रहा हो,

6. डप-खंड (5) के अंतर्गत शिकायतों का अभिलेख रखना,
7. योजना लाभार्थियों को विधिक सहायता अधिकारी का दूरभाष नंबर उपलब्ध कराना यदि उपलब्ध हो और ऐसे लाभार्थियों को जिन्हें दूरभाष नंबर दिया गया है उन्हें कार्यकाल समय के दौरान विधिक सहायता प्राधिकारी की दूरभाष पर उपलब्धता के विषय में बताना।

शिकायत पर कार्यवाही

- ❖ शिकायत की प्राप्ति पर प्रत्येक विधिक सहायता प्राधिकारी शिकायतकर्ता लाभार्थी के साथ पदनामित प्राधिकारी के कार्यालय में जायेंगे तथा लाभार्थी को लाभ दिलाने में सहायता करेंगे जिसका गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत वह हकदार है।
- ❖ यदि किसी परिस्थिति में पदनामित प्राधिकारी शिकायतकर्ता लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत पंजीकृत करने में विफल रहता है तो विधिक सहायता प्राधिकारी जिला प्राधिकारीगण को शिकायत करेंगे।
- ❖ पदनामित प्राधिकारी या अधिकारी की शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्राधिकरण सम्बंधित अधिकारी से शिकायतकर्ता लाभार्थी को लाभ से वंचित किये जाने के कारणों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगेगा एवं पर्याप्त कारण नहीं बताए जाने की अवस्था में जिला प्राधिकरण तुरंत गरीबी उन्मूलन योजना में शामिल किये जाने से इंकार का विवरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को देगा।
- ❖ जिला प्राधिकरण की राय में यदि वरिष्ठ अधिकारी भी बिना पर्याप्त कारण गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ से रोकता है, तो जिला प्राधिकरण राज्य प्राधिकार को सूचित करेगा।
- ❖ ऐसी परिस्थिति में राज्य प्राधिकार सम्बन्धित विभाग से मामले को आगे बढ़ा सकता है ताकि योग्य लाभार्थी को लाभ मिले अथवा उचित विधिक कार्यवाही कर सकता है। शिकायतकर्ता को नियमित जानकारी दी जाएगी।



झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची

नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 - संक्षिप्त परिदृश्य

आदिवासी कौन हैं

संविधान के अनुच्छेद (25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति वे हैं जो अनुच्छेद-342 के अन्तर्गत जनजातिय समुदाय के रूप में सूचीबद्ध हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 10,42,81,034 है जो कि देश की कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत है।

अति संवेदनशील जनजातीय समूह (पी.बी.टी. जी.)

जनजातीय समूहों में कुछ जनजातियां अपनी अत्यधिक दुर्बलता के कारणवश विशेष रूप से अतिसंवेदनशील जनजातीय समूह (पी.बी.टी.जी.) की श्रेणी में रखी गई हैं। वर्तमान में 75 जनजातीय समूह इस श्रेणी में शामिल हैं जिनकी पहचान निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर की गई है: 1) वन आश्रित आजीविका, 2) कृषि पूर्व जीवन स्तर, 3) स्थिर एवं घटती जनसंख्या, 4) निम्न साक्षरता दर तथा 5) जीविका आधारित अर्थव्यवस्था। इस श्रेणी की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग छह राज्यों महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु में रहता है।

इस योजना का उद्देश्य

योजना का लक्ष्य भारतवर्ष में जनजातियों तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना है। छठ्याय तक पहुंच की अवधारणा अपने तमाम अर्थों में अधिकारों तक पहुंच, लाभ, विधिक सहायता, अन्य विधिक सेवाएं इत्यादि को सुगम बनाता है ताकि संविधान के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करने के वचन का देश में जनजातियों द्वारा भी पूर्णरूप से अनुभव किया जा सके। जनजातियों को कई विधिक अधिकार दिये गये हैं निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा:

- ❖ अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- ❖ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- ❖ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009
- ❖ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
- ❖ पंचायत के प्रावधान (अनुसूची क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996
- ❖ भारतीय संविधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची।

यह अनुभव में आशा है कि जनजातीय समुदाय के लोगों के वास्ते बने प्रावधानों को कठोरतापूर्वक लागू नहीं किया जाता, जिसके चलते उनके विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ऐसा उल्लंघन ही जनजातियों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। इस योजना का आशय यह है कि इन विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो।

जनजातीय समुदाय के लोगों की समस्याओं का विवरण

- ❖ साक्षरता की कमी
- ❖ नक्सलवाद तथा सशस्त्र विवाद
- ❖ वनक्षेत्र से निर्वासन
- ❖ भूमि सम्बंधी समस्याएं-यथा-पुर्नवास एवं पुनरूद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि का नहीं बदला जाना तथा वन अधिकारों की सुरक्षा हेतु विधिक प्रावधान का अभाव।
- ❖ विधिक समस्याएं-यथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वास अधिकारों का दावा करने में उत्पन्न समस्याएं।
- ❖ अंडमान निकोबार में छजरावाश जनजाति यौन-शोषण की घटनाएं भी झेलती है। यहां तक की जनजाति के लोगों से डी.एन.ए. टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल बिना उनके सूचित सहमति के देने के लिए कहा जा चुका है।
- ❖ योजना आयोग के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि 43.6% पुनरूद्धारित बंधुआ मजदूर अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। इससे स्पष्ट है कि जनजातीय समूह के लोग बंधुआ मजदूरी में नंसाए जाते हैं जिसका कारण ऋणग्रस्तता एवं आहार है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कर्तव्य

- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को जनजातियों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसे जनजातीय समुदायों एवं सरकार तथा न्यायपालिका के बीच के गसले को खत्म करना है।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को जनजातियों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसे जनजातीय समुदायों एवं सरकार तथा न्यायपालिका के बीच के गसले को खत्म करना है।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का कर्तव्य है कि जनजातीय समुदायों से अधिवक्ताओं के एक अनन्य पैनल का गठन किया जाय जिन्हें अच्छी गैस का भुगतान किया जाना चाहिए।
- ❖ यह भी कर्तव्य है कि जनजातीय लोगों को मुकदमेबाजी में योग्य विधिक सहायता दी जानी चाहिए एवं उपयुक्त मुकदमों में उनके पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- ❖ पैनल के अधिवक्तागण जनजातीय लोगों को प्रक्रिया एवं विधि को स्पष्ट करते हुए उनका न्यायालयों में ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करें ताकि व्यवस्था के प्रति अविश्वास समाप्त किया जा सके एवं न्यायालय की प्रक्रियाओं की बेहतर समझ पैदा हो।
- ❖ पैनल अधिवक्तागण कारागारों में अवश्य जाएं एवं बिना जमानत दीर्घ अवधि की कैद से निपटने के लिए कारागारों में

विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना करें एवं उन मुकदमों पर नजर रखें जहां आरोप सिद्ध न हो पाया हो ताकि कैद से जल्दी रिहाई हो सके।

- ❖ पैनल अधिवक्तागण पारा लीगल वॉलन्टियर की सहायता से जनजातीय लोगों को उनकी अधिगृहीत जमीन का मुआवजा दिलाना आसान बनाएं एवं उनके पुनर्वास हेतु उनकी सहायता करें।
- ❖ पारा लीगल वॉलन्टियर की सहायता से जनजातीय क्षेत्रों में मुद्दों, आवश्यकताओं, विधिक जरूरत एवं शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की अवश्य पहचान की जानी चाहिए एवं उपयुक्त मामलों में न्यायिक निवारण की कार्यवाही की जानी चाहिए।
- ❖ पूर्णकालिक विधिक सेवा प्राधिकार सचिव/न्यायिक अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों के व्यक्तियों से बात करनी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पहचान की जा सके एवं सक्षम विधिक सहायता दी जा सके।
- ❖ जहां कहीं भी जनजातीय व्यक्ति न्यायालय में अभियोजन का सामना कर रहा है वहां उसकी पहचान की जानी चाहिए एवं उसके विरुद्ध कार्रवाई के आरम्भ से विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा समुचित विधिक सहायता दी जानी चाहिए।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विधिक सेवा क्लिनिक अवश्य खोले जहां कि जनजातीय अधिवक्तागण का सुविधापूर्वक जाना सुगम हो।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बहु उपयोगी वाहन का अवश्य प्रयोग करें ताकि कम आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचा जा सके ताकि जनजातीय लोगों को आपराधिक, दीवानी, राजस्व अथवा वन अधिकारों के मामले में शीघ्र विधिक सहायता दी जा सके।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार वन विभाग जैसे सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करे ताकि प्राकृतिक वास-दावों एवं मुआवजा दावों का मोबाइल लोक अदालतों के द्वारा निपटारा किया जा सके।
- ❖ दीवानी एवं फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय जाने हेतु जनजातीय लोगों को शीघ्र विधिक सहायता दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति उन समर्पित अधिवक्ताओं को अपने पैनल में रखे जो स्वयं जनजातीय हैं या जिन्हें जनजातीय मुद्दों की अच्छी समझ है एवं जो उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकते हैं।
- ❖ जब भी आवश्यकता हो माननीय कार्यकारी चेयरमैन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अनुमोदन से सामाजिक न्याय मुकदमों आरम्भ किये जाएं।

पारा लीगल वॉलन्टियर के कर्तव्य

- ❖ प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकार सांख्यिकीय एवं अन्य सरकारी विभागों की सहायता से जिलों के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां जनजातीय आबादी है तथा पारा लीगल वॉलन्टियर के द्वारा उन तक पहुंचें।
- ❖ जनजातीय लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए तथा प्रभावकारी तरीके से विधिक सहायता देने के लिए यह आवश्यक है कि जनजातीय लोगों के माध्यम से ही पारा लीगल वॉलन्टियर का चयन किया जाये। जनजातीय समुदाय के लोगों से पी0एल0वी0 के अनन्य पैनल का निर्माण अवश्य किया जाना चाहिए।

- ❖ ऐसे पी0एल0वी0 को उनकी भूमिका के लिए उचित विधि से प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे सक्रिय रूप से जनजातीय लोगों तक पहुंच सकें।
- ❖ विधिक सेवा प्राधिकार जनजातीय समुदायों के बीच पी0एल0वी0 की सहायता से स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पी0एल0वी0 एवं स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकार की सहायता से जरूरतमंद जनजातीय व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। ऐसे जनजातीय लोगों को उचित स्वास्थ्य योजनाओं के लाभों के साथ-साथ स्वास्थ्य सहायता एवं दवाएं उपलब्ध कराने में आसानी लाई जाए।
- ❖ जब भी विद्यालयों, अध्यापकों की अनुपस्थिति एवं जनजातीय बच्चों की प्रताड़ना जैसे मामले आयें, तो पी0एल0वी0 तत्काल जनजातीय लोगों की आवाज बनें एवं सम्बंधित विधिक सेवा प्राधिकार को सूचित करें।
- ❖ पी0एल0वी0 तस्करी के पीड़ितों की पहचान, उन्हें मुआवजा दिलाने तथा उन्हें पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करें।
- ❖ जब पीड़ितों की गवाही हो तो पी0एल0वी0 पीड़ितों के साथी के रूप में सहयोग करें।
- ❖ जनजातीय लोगों के पास अधिकतर भूमि का दस्तावेजी सबूत नहीं होता, ऐसे मामलों में उन्हें उचित मुआवजा एवं पुनर्वास प्राप्त करने के लिए विधिक सहायता की आवश्यकता होती है। पी0एल0वी0 समस्त दस्तावेजों एवं सबूतों को एकत्र करने में जनजातीय लोगों की सहायता करें।
- ❖ पी0एल0वी0 कारागार जाएं एवं बंदियों से उनके मुकदमों के बारे में बात करें एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को रिपोर्ट करें ताकि उन्हें जमानत पर छुड़वाने या जल्दी सुनवाई के लिए तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

जागरूकता कार्यक्रम

- ❖ जनजातीय क्षेत्रों में विधिक जानकारी कार्यक्रमों में दृश्य-श्रव्य साधन अधिक उपयोगी होंगे।
- ❖ जनजातीय लोगों के बीच वन विधि एवं विधि के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामों के बारे में विधिक जानकारी फैलाने की आवश्यकता है।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार शिक्षा के लाभों, उनके अधिकारों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं आधुनिक तकनीक के लाभों के अन्तर्गत पात्रता के बारे में जनजातीय समुदाय को जागरूक करने के लिए सघन विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।
- ❖ जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्र में कार्यरत एन0जी0ओ0 के साथ सुरक्षित पेयजल, पोषण एवं गर्भवती स्त्री के देखभाल के लाभों के बारे में बताने के लिए स्वास्थ्य जानकारी कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार भाषायी भेद को कम करने के लिए ग्राम में एक सामुदायिक रेडियो की स्थापना जैसे अन्य कदम उठाने चाहिए।

मदद वास्ते

किसी भी तरह के मदद के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (website-www.jhalsa.org, Email-jhalsaranchi@gmail.com, Mobile-8986601912, 9431387340, Telephone-2482030, 2481520) अथवा संबंधित जिला/अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार/समिति से संपर्क किया जा सकता है।



झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची

नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 - संक्षिप्त परिदृश्य

योजना का लक्ष्य

- आम जनता के बीच विधिक प्रावधानों, विभिन्न नीतियों, कार्यक्रम एवं योजनाएं, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों के विज्ञान के साथ-साथ विद्यालयों तथा महा विद्यालयों के बच्चों, गली के बच्चों, नगर झोपड़पट्टी के बच्चों, सुई से ड्रग लेने वालों, परिवारों, कैदियों, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वालों, दवा बेचने वालों, ड्रग प्रयोग करने वालों, यौन कर्मियों एवं जन साधारण आदि में ड्रग दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना।
- विभिन्न पदार्थों स्रोत/पौधों की जायज खेती करने वाले किसानों में ऐसे ड्रग एवं पदार्थों के सेवन के प्रतिकूल स्वास्थ्य एवं जीवन हानिकारक प्रभाव के विषय में संवेदनशीलता लाने हेतु साक्षरता शिविरों का आयोजन करना।
- माता-पिता तथा शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में पदार्थ दुरुपयोग के विषय में जागरूकता फैलाना।
- विभिन्न भागीदारों अर्थात् न्यायपालिका, अभियोजन, बार के सदस्यों, पुलिस, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, नशा मुक्ति केन्द्रों, सुधार गृह, पुनर्वास केन्द्रों, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन, किशोर गृह, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतनों, विशेष किशोर विद्यालयों, न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारीगण, इत्यादि को ड्रग के खतरों एवं इसके उन्मूलन के प्रभावी उपायों के विषय में संवेदनशील बनाना।
- ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात उनके पुनर्वास में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान करना।
- पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों की क्षमता जमीनी स्तर पर ड्रग दुरुपयोग की रोकथाम एवं निवारण तथा ड्रग/पदार्थों में उपयोग होने वाले पौधों की अवैध खेती के दुरुपयोग और विनाश करने हेतु हस्तक्षेप और रोकथाम के प्रयासों के लिए उपयोग करना।
- नशा मुक्ति केन्द्रों एवं पुनर्वास केन्द्रों इत्यादि के बीच बेहतर सुविधाओं के लिए प्रभावी सहयोग पैदा करना और पीड़ितों के अधिकार का सम्मान करना और यदि कोई अतिक्रमण/उल्लंघन प्रतीत हो तो बीच बचाव करना।
- क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न भागीदारों के कार्य कलापों में सहयोग पैदा करना।
- ड्रग तस्करी एवं ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों को आवश्यक विधिक सेवा सुनिश्चित करना।

योजना का कार्यान्वयन वास्ते कार्य योजना

विशेष इकाइयों की स्थापना

- इस योजना की सूचना मिलने के एक मास के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एतद् पश्चात एस.एल.एस.ए. निर्देशित) राज्य के समस्त तालुकाओं/मण्डलों उप मण्डलों में विशेष इकाइयाँ स्थापित करेगा जिनमें डी.एल.एस.ए. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत न्यायिक अधिकारीगण, नव युवक अधिवक्तागण, सम्बंधित मुख्य चिकित्सीय अधिकारी द्वारा मनोनीत चिकित्सीय अधिकारीगण, मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत राजस्व/पुलिस/वन अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्द्ध विधिक स्वयंसेवी और ड्रग के खतरे के उन्मूलन अथवा पुनर्वास एवं नशा मुक्ति हेतु ठोस कार्य करने वाले किसी स्वयंसेवी संस्था जो नालसा से जुड़ी हो, के प्रतिनिधि होंगे। विशेष इकाइयों की अध्यक्षता तालुका/मंडल/उपमंडल विधिक सेवा समिति (एतद् पश्चात टी.एल.एस.सी. निर्देशित) के अध्यक्ष डी.एल.एस.ए. अध्यक्ष के व्यापक पर्यवेक्षण के अंतर्गत करेंगे।
- ऐसी विशेष इकाइयों में दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। डी.एस.एल.ए. के सचिव जिले के नोडल अधिकारी होंगे। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव विशेष इकाइयों के सचिव होंगे।
- विशेष इकाइयों का संगठन होने के पश्चात नालसा के मॉड्यूल के अनुसार विशेष इकाइयों के सदस्यों के लिए डी.एल.एस.ए. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
- विशेष इकाइयाँ किये गए कार्य की नियमित रिपोर्ट एस.एल.एस.ए. को डी.एस.एल.ए. अध्यक्ष द्वारा देती रहेंगी जो उन्हें अपनी टिप्पणियों सहित आगे भेजने होंगे।
- ये विशेष इकाइयाँ अपने गठन के 15 दिवसों के भीतर ड्रग एब्ज्यूज से निपटने, हस्तक्षेप और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु अपने-अपने सम्बंधित क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों का एक सूक्ष्म स्तरीय कार्यक्रम तैयार करेंगी।
- ऐसे कार्यक्रम डी.एल.एस.ए. के अध्यक्ष द्वारा एस.एल.एस.ए. के सदस्य सचिव को भेजे जायेंगे जो अपने तौर पर उसे अनुमोदन हेतु कार्यपालक अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे। एस. एल.एस.ए. के कार्यपालक अध्यक्ष संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन, 15 दिन के अन्दर अपनी अनुमति दे देंगे।

❧ इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त विशेष इकाइयाँ उन अन्य कार्य को भी करेंगी जो उन्हें एस.एल.एस.ए. समय-समय पर सौंपती रहेगी।

विभिन्न योजनाओं को लागू करना -

- ❧ एस.एल.एस.एस. जन साधारण को और विशेष रूप से ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों, उनके परिवारों तथा नशामुक्ति पुनर्वास केंद्रों के कार्यकारियों को नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के विषय में सूचना फैलाने हेतु समस्त कदम उठाएंगे।
- ❧ विशेष इकाइयाँ ऐसी सूचना को प्रमुखता से अपने कार्यालय में दर्शाएंगी तथा उचित पुस्तिकाएं/ पर्चे / तख्तियों, आदि को छपवाएंगी, जैसा कि एस.एल.एस.एस. द्वारा अनुमोदित हो।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता

विद्यालयों और महाविद्यालयों में, छात्रों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक बनाने हेतु, विशेष इकाइयाँ विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाने हेतु, विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लबों और महाविद्यालयों में विधिक सेवा क्लिनिकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी।

(क) जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रमों को विभिन्न तरीकों से आयोजित किया जा सकता है, जैसे-

- i) विद्यालयों/विद्यालयों के समूह में ड्रग दुरुपयोग के विरुद्ध यात्रा के बैनर के अंतर्गत क्षेत्र के 'प्रतिष्ठित' व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करना।
- ii) जागरूकता शिविर द्वारा अभिभावकों-अध्यापकों की नियमित बैठकों के आयोजन द्वारा। सामूहिक साक्षरता अभियानों द्वारा।
- iii) परिसंवाद, संगोष्ठी, वाद-विवादों आदि के कार्यक्रमों द्वारा।
- iv) ड्रग दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में प्रश्नोत्तरी तथा निबन्ध-लेखन प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा।
- v) नुक्कड़ नाटकों : इसी प्रकार के किसी अन्य तथा नए तरीकों द्वारा। कोई अन्य इसके समान तथा नए तरीकों द्वारा।

(ख) विद्यालयों/महाविद्यालयों के अध्यापकों को भी जागरूकता/संवेदनशील कार्यक्रमों में भागीदार बनाना चाहिये।

(ग) जागरूकता/संवेदनशीलता कार्यक्रमों में नालसा/एस.एल.एल.ए. द्वारा निर्मित प्रचार-पुस्तिकाओं/पुस्तिकाओं व पर्चों को छात्रों में वितरित करना चाहिये।

(घ) ऐसे प्रचार-पुस्तिकाओं/पर्चों को सभी जागरूकता अभियानों में और मुख्य कार्यालयों एवं विधिक सेवा क्लिनिकों में वितरित किया जाएगा।

(च) विद्यालय/महाविद्यालय पाठ्यक्रम में ड्रग दुरुपयोग पर अध्याय को शामिल करना- विद्यालय एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से ड्रग दुरुपयोग पर अध्याय शामिल करने हेतु संबंधित शिक्षा परिषदों एवं विश्वविद्यालयों से निवेदन करना।

ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों के परिवारों को जागरूक करना।

जिन परिवारों में बच्चों और अभिभावकों के बीच स्नेहमय संबंध शिथिल या खत्म हो जाते हैं अथवा जिनके अभिभावक या परिवार-जन ड्रग/मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, सामान्यता वे बच्चे ड्रग दुरुपयोग के पीड़ित बन जाते हैं।

(क) विशेष इकाइयों को ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों के परिवारों और उन अभिभावकों को जो किसी एक अथवा अन्य प्रकार के नशों की लत के आदी हैं, पहचानना चाहिए एवं उनको अपने बच्चों के साथ पैतृक संबंध बनाने हेतु संवेदनशील बनाना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए राजी करने, उनके क्रिया-कलापों के पर्यवेक्षण और अध्यापकों से उनके छात्रों और उनके व्यवहार के बारे में बात करने एवं नशों की लत पहचानने की और इसके इलाज की जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

(ख) जागरूकता लाई जानी चाहिए ताकि लत के कलंक को मिटाया जा सके व इससे उत्पन्न मानसिक पीड़ाओं का उपचार किया जा सके क्योंकि नशों की लत को भी किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता मिले और इसका जल्द से जल्द उपचार किया जा सके।

लावारिस बच्चों में जागरूकता

(क) ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों में सर्वाधिक संख्या लावारिस बच्चों की है। ये सबसे अधिक उपेक्षित एवं कमजोर वर्ग है, सामान्यता: परित्यक्त एवं उनके परिवारों द्वारा छोड़े गये हैं। इसलिए, लावारिस बच्चों के साथ कार्य करने वाली एनजीओ के साथ इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अति आवश्यकता है।

(ख) विशेष इकाइयाँ व्यसनी लावारिस और शहरी स्लम बस्ती के बच्चों को पहचान करेंगी और उनको नशा-मुक्ति केंद्र (केंद्रों) या पुनर्वास केंद्र (केंद्रों), जैसी भी स्थिति हो, में दाखिला करने हेतु प्रबंध करेंगी।

ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों के बीच जागरूकता

ड्रग की लत वाले व्यक्तियों की पहचान के साथ, विशेष इकाईयाँ मनोचिकित्सकों एवं डाक्टरों के साथ मिलकर उनके लिए नियमित संवेदनशील कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का संचालन करेंगी। ऐसे कार्यक्रमों में प्रेरणास्रोत व्यक्तियों और खेल, सिनेमा, साहित्य आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा।

यौन कर्मियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम

विशेष इकाईयाँ रेड-लाइट क्षेत्रों में यौन कर्मियों और उनके बच्चों को ड्रग दुरुपयोग के दुष्परिणामों के बारे में बताने के लिए युक्तिपूर्वक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी।

जेलों में जागरूकता कार्यक्रम

विधिक सेवा संस्थान जेल के कैदियों तथा जेल स्टाफ के लिए स्वापक औषधियों के दुष्प्रभाव के विषय में समय-समय पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

आम जनता के बीच जागरूकता

- (क) विशेष इकाईयाँ स्वापक पदार्थों की गैरकानूनी बिक्री अथवा उपभोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ किसानों को अफीम अथवा ऐसे अन्य पौधों की खेती की मंजूरी प्राप्त है, समय-समय पर स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेंगी।
- (ख) आम जनता को इस बात के प्रति जागरूक बनाया जाएगा कि प्रतिबंधित व वर्जित औषधियों/ड्रग्स के गैरकानूनी कब्जे, ढुलाई, बिक्री व खेती आदि के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना देना। कानून के अंतर्गत संरक्षित है तथा उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है।
- (ग) विशेष इकाईयाँ परिवहकों (ट्रांसपोर्टरों) व टैक्सी चालकों को ड्रग्स के परिणामों व दुष्प्रभावों के बारे में साक्षर बनाने के लिए भी नियमित रूप से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेंगी।
- (घ) विधिक सेवा संस्थान विशेष इकाईयाँ स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के कड़े प्रावधानों तथा ड्रग्स के दुरुपयोग के बारे में सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सरकारी व निजी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पंचायत भवन, न्यायालयों, जिला कलक्टरी, उपमंडल दंडाधिकारी कार्यालयों आदि पर सूचनापट्ट विज्ञापन पट्ट आदि प्रदर्शित करेंगी।
- (च) विशेष इकाईयाँ ड्रग्स के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में गाँवों, मेलों व त्योहारों में जागरूकता शिविर आयोजित करेंगी।
- (छ) विशेष इकाईयाँ पुनर्वास कालोनियों, आवासीय क्षेत्रों, बाजारों में विभिन्न संगठनों/समितियों के साथ मिलकर जागरूकता शिविर आयोजित करेंगी।
- (ज) एस.एल.एस.ए. डाक विभाग, कोरियर एजेंसियों तथा वित्तीय संस्थानों को उनके कर्मचारियों को इन एजेंसियों के माध्यम से गुप्त रूप से ड्रग्स की आवाजाही (ढुलाई) के प्रति संवेदनशील रहने के लिए शामिल करने हेतु प्रयास करेगी।

केमिस्ट व औषधि / ड्रग्स विक्रेताओं के बीच जागरूकता

- (क) विशेष इकाईयाँ केमिस्ट व औषधि विक्रेताओं को ड्रग्स के दुष्प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाएंगी।
- (ख) केमिस्टों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए कि वे नियमित रूप से चिकित्सीय ड्रग्स खरीदने वाले बच्चों व युवाओं के प्रति सतर्क रहें व उन्हें यह ड्रग्स बेचने से इंकार करें।
- (ग) ड्रग्स बेचने वालों की पहचान की जायेगी तथा उनके लिए भी समान रूप से संवेदनशील बनाने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
- (घ) पुलिस को भी संवेदनशील बनाया जा सकता है कि वह गली विक्रेताओं, पान की दुकानों आदि में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे व इस व्यसन की रोकथाम में शामिल हो।

इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के द्वारा जागरूकता

एस.एल.एस.ए. को ड्रग्स के दुष्प्रभावों व इससे छुटकारा पाने के साधनों पर नियमित रेडियो वार्ताएं व टीवी कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इन कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों, आदर्श व्यक्तियों आदि को शामिल किया जाएगा।

नशामुक्ति/पुनरुद्धार केन्द्रों के साथ समन्वय

- (क) विशेष इकाईयाँ माह में कम से कम एक बार अपनी अधिकार क्षेत्र में आने वाले नशामुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों का दौरा करेंगी। विशेष इकाईयाँ तालुका के भीतर पुनर्वास व नशामुक्ति केन्द्रों की एक सूची तैयार करेंगी तथा सूचना को लगातार अद्यतन करेंगी। यह इस सूची को इन्हें चलाने वाले व इनकी पृष्ठभूमि के ब्योरे सहित एस.एल.एस.ए. को भी भेजेगी।

- (ख) विशेष इकाइयाँ पुनर्वास/ नशामुक्ति केन्द्रों में सुविधाओं की पर्याप्तता का आकलन करने हेतु इनमें प्रदान की गयी सुविधाओं का निरीक्षण करेंगी।
- (ग) विशेष इकाइयाँ सलाहकार, मनोवैज्ञानिकों व डाक्टरों के दौरो के बारे में अभिलेख का निरीक्षण करेंगी।
- (घ) विशेष इकाइयाँ यह देखने हेतु कि ड्रग्स पुनर्वास केन्द्रों में स्टाफ की कमी न हो तथा स्टाफ पीड़ितों की संख्या के अनुरूप हो, कर्मचारियों के अनुपात की जाँच करेंगी।
- (च) विशेष इकाइयों को जब भी कर्मचारियों की संख्या या आधारभूत सुविधाओं में कमी नजर आए, वे इस सम्बन्ध में डी. एल.एस.ए. को उपयुक्त सिफारिशें करेंगी जो मामले को सम्बद्ध प्राधिकारियों तक ले जायेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कमियाँ पूरी कर दी गयी हैं।
- (छ) यदि विशेष इकाई पीड़ितों के मानव अधिकार का उल्लंघन देखती है, तो वह तुरंत टी.एल.एस.सी. के अध्यक्ष को एक रिपोर्ट दाखिल करेगी जो इस रिपोर्ट पर गौर करेंगे और कानूनी कार्यवाही करने से पहले मामले पर स्वयं विचार करेंगे। टी.एल.एस.सी. उन मामलों में कानूनी सहायता भी प्रदान करेगी जहां पीड़ित की ओर से कानूनी कार्यवाही की जानी हो।
- (ज) विशेष इकाई पुनर्वास केन्द्रों से सूचना भी प्राप्त करेंगी एवं सम्बंधित डी.एल.एस.ए. को मासिक रिपोर्ट भेजेगी जिसमें पीड़ितों का ब्यौरा, की गयी गतिविधियाँ, मनोचिकित्सकों व डाक्टरों के दौरे का विवरण एवं विशेष इकाई की रिपोर्ट पर किये गए सुधार के उपायों, यदि कोई हों, को भी दिया जाएगा।
- (झ) विशेष इकाई पीड़ितों के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर का प्रबंध एवं आयोजन करेगी। सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक रूप से सक्रिय समूहों को भी ऐसे जागरूकता शिविरों में पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य के साथ शामिल किया जाएगा।

हिस्सेदारों का प्रशिक्षण / रिफ्रेशर कोर्स

एस.एल.एस.ए. स्वयं अथवा राज्य न्यायिक अकादमी के साथ मिलकर न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, विधिक परिषद के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों एवं न्यायालय के मंत्रालयी कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स, विशेष प्रशिक्षण एवं सम्मलेन का प्रबंध एवं आयोजन करेगी।

26 जून, को ड्रग्स के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना

समस्त विधिक सेवा संस्थाएं विशेष इकाई की सहायता से प्रतिवर्ष 26 जून को 'ड्रग्स के दुरुपयोग एवं इसके अनैतिक व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाने के लिए व ड्रग्स के दुरुपयोग व इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।

ड्रग्स के व्यसन से सुधारे हुए व्यक्तियों का सहयोग

विशेष इकाई अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो पूर्व में ड्रग्स के व्यसन में लिप्त रहे हों, एवं जागरूकता शिविरों में उनके अनुभव को बताने हेतु उनको शामिल करेगी।

ड्रग्स विरोधी क्लब

- (क) विशेष इकाइयाँ विद्यालयों व महाविद्यालयों को निवेदन करेंगी व उन्हें विद्यालयों/महाविद्यालयों में ड्रग्स विरोधी क्लब खोलने के लिए शामिल करेंगी ताकि विद्यार्थी आदर्श बनें व अपने साथियों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों की जानकारी दें।
- (ख) विशेष इकाइयाँ विद्यालयों/महाविद्यालयों में ड्रग्स विरोधी क्लबों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। जैसा कि पहले वर्णित है, इसके लिए विधिक साक्षरता क्लब व विधिक सेवा क्लीनिक का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को शामिल करना

अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो बदले में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जायेंगे व लोगों को स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनायेंगे।

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची

नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 - संक्षिप्त परिदृश्य

योजना का लक्ष्य

- आम जनता के बीच विधिक प्रावधानों, विभिन्न नीतियों, कार्यक्रम एवं योजनाएं, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों के विज्ञान के साथ-साथ विद्यालयों तथा महा विद्यालयों के बच्चों, गली के बच्चों, नगर झोपड़पट्टी के बच्चों, सुई से ड्रग लेने वालों, परिवारों, कैदियों, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वालों, दवा बेचने वालों, ड्रग प्रयोग करने वालों, यौन कर्मियों एवं जन साधारण आदि में ड्रग दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना।
- विभिन्न पदार्थों स्रोत/पौधों की जायज खेती करने वाले किसानों में ऐसे ड्रग एवं पदार्थों के सेवन के प्रतिकूल स्वास्थ्य एवं जीवन हानिकारक प्रभाव के विषय में संवेदनशीलता लाने हेतु साक्षरता शिविरों का आयोजन करना।
- माता-पिता तथा शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में पदार्थ दुरुपयोग के विषय में जागरूकता फैलाना।
- विभिन्न भागीदारों अर्थात् न्यायपालिका, अभियोजन, बार के सदस्यों, पुलिस, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, नशा मुक्ति केन्द्रों, सुधार गृह, पुनर्वास केन्द्रों, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन, किशोर गृह, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतनों, विशेष किशोर विद्यालयों, न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारीगण, इत्यादि को ड्रग के खतरों एवं इसके उन्मूलन के प्रभावी उपायों के विषय में संवेदनशील बनाना।
- ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात उनके पुनर्वास में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान करना।
- पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों की क्षमता जमीनी स्तर पर ड्रग दुरुपयोग की रोकथाम एवं निवारण तथा ड्रग/पदार्थों में उपयोग होने वाले पौधों की अवैध खेती के दुरुपयोग और विनाश करने हेतु हस्तक्षेप और रोकथाम के प्रयासों के लिए उपयोग करना।
- नशा मुक्ति केन्द्रों एवं पुनर्वास केन्द्रों इत्यादि के बीच बेहतर सुविधाओं के लिए प्रभावी सहयोग पैदा करना और पीड़ितों के अधिकार का सम्मान करना और यदि कोई अतिक्रमण/उल्लंघन प्रतीत हो तो बीच बचाव करना।
- क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न भागीदारों के कार्य कलापों में सहयोग पैदा करना।
- ड्रग तस्करी एवं ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों को आवश्यक विधिक सेवा सुनिश्चित करना।

योजना का कार्यान्वयन वास्ते कार्य योजना

विशेष इकाइयों की स्थापना

- इस योजना की सूचना मिलने के एक मास के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एतद् पश्चात एस.एल.एस.ए. निर्देशित) राज्य के समस्त तालुकाओं/मण्डलों उप मण्डलों में विशेष इकाइयाँ स्थापित करेगा जिनमें डी.एल.एस.ए. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत न्यायिक अधिकारीगण, नव युवक अधिवक्तागण, सम्बंधित मुख्य चिकित्सीय अधिकारी द्वारा मनोनीत चिकित्सीय अधिकारीगण, मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत राजस्व/पुलिस/वन अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्द्ध विधिक स्वयंसेवी और ड्रग के खतरे के उन्मूलन अथवा पुनर्वास एवं नशा मुक्ति हेतु ठोस कार्य करने वाले किसी स्वयंसेवी संस्था जो नालसा से जुड़ी हो, के प्रतिनिधि होंगे। विशेष इकाइयों की अध्यक्षता तालुका/मंडल/उपमंडल विधिक सेवा समिति (एतद् पश्चात टी.एल.एस.सी. निर्देशित) के अध्यक्ष डी.एल.एस.ए. अध्यक्ष के व्यापक पर्यवेक्षण के अंतर्गत करेंगे।
- ऐसी विशेष इकाइयों में दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। डी.एस.एल.ए. के सचिव जिले के नोडल अधिकारी होंगे। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव विशेष इकाइयों के सचिव होंगे।
- विशेष इकाइयों का संगठन होने के पश्चात नालसा के मॉड्यूल के अनुसार विशेष इकाइयों के सदस्यों के लिए डी.एल.एस.ए. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
- विशेष इकाइयाँ किये गए कार्य की नियमित रिपोर्ट एस.एल.एस.ए. को डी.एस.एल.ए. अध्यक्ष द्वारा देती रहेंगी जो उन्हें अपनी टिप्पणियों सहित आगे भेजने होंगे।
- ये विशेष इकाइयाँ अपने गठन के 15 दिवसों के भीतर ड्रग एब्ज्यूज से निपटने, हस्तक्षेप और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु अपने-अपने सम्बंधित क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों का एक सूक्ष्म स्तरीय कार्यक्रम तैयार करेंगी।
- ऐसे कार्यक्रम डी.एल.एस.ए. के अध्यक्ष द्वारा एस.एल.एस.ए. के सदस्य सचिव को भेजे जायेंगे जो अपने तौर पर उसे अनुमोदन हेतु कार्यपालक अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे। एस. एल.एस.ए. के कार्यपालक अध्यक्ष संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन, 15 दिन के अन्दर अपनी अनुमति दे देंगे।

❧ इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त विशेष इकाइयाँ उन अन्य कार्य को भी करेंगी जो उन्हें एस.एल.एस.ए. समय-समय पर सौंपती रहेगी।

विभिन्न योजनाओं को लागू करना -

- ❧ एस.एल.एस.एस. जन साधारण को और विशेष रूप से ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों, उनके परिवारों तथा नशामुक्ति पुनर्वास केंद्रों के कार्यकारियों को नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के विषय में सूचना फैलाने हेतु समस्त कदम उठाएंगे।
- ❧ विशेष इकाइयाँ ऐसी सूचना को प्रमुखता से अपने कार्यालय में दर्शाएंगी तथा उचित पुस्तिकाएं/ पर्चे / तख्तियों, आदि को छपवाएंगी, जैसा कि एस.एल.एस.एस. द्वारा अनुमोदित हो।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता

विद्यालयों और महाविद्यालयों में, छात्रों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक बनाने हेतु, विशेष इकाइयाँ विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाने हेतु, विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लबों और महाविद्यालयों में विधिक सेवा क्लिनिकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी।

(क) जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रमों को विभिन्न तरीकों से आयोजित किया जा सकता है, जैसे-

- i) विद्यालयों/विद्यालयों के समूह में ड्रग दुरुपयोग के विरुद्ध यात्रा के बैनर के अंतर्गत क्षेत्र के 'प्रतिष्ठित' व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करना।
- ii) जागरूकता शिविर द्वारा अभिभावकों-अध्यापकों की नियमित बैठकों के आयोजन द्वारा। सामूहिक साक्षरता अभियानों द्वारा।
- iii) परिसंवाद, संगोष्ठी, वाद-विवादों आदि के कार्यक्रमों द्वारा।
- iv) ड्रग दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में प्रश्नोत्तरी तथा निबन्ध-लेखन प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा।
- v) नुक्कड़ नाटकों : इसी प्रकार के किसी अन्य तथा नए तरीकों द्वारा। कोई अन्य इसके समान तथा नए तरीकों द्वारा।

(ख) विद्यालयों/महाविद्यालयों के अध्यापकों को भी जागरूकता/संवेदनशील कार्यक्रमों में भागीदार बनाना चाहिये।

(ग) जागरूकता/संवेदनशीलता कार्यक्रमों में नालसा/एस.एल.एल.ए. द्वारा निर्मित प्रचार-पुस्तिकाओं/पुस्तिकाओं व पर्चों को छात्रों में वितरित करना चाहिये।

(घ) ऐसे प्रचार-पुस्तिकाओं/पर्चों को सभी जागरूकता अभियानों में और मुख्य कार्यालयों एवं विधिक सेवा क्लिनिकों में वितरित किया जाएगा।

(च) विद्यालय/महाविद्यालय पाठ्यक्रम में ड्रग दुरुपयोग पर अध्याय को शामिल करना- विद्यालय एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से ड्रग दुरुपयोग पर अध्याय शामिल करने हेतु संबंधित शिक्षा परिषदों एवं विश्वविद्यालयों से निवेदन करना।

ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों के परिवारों को जागरूक करना।

जिन परिवारों में बच्चों और अभिभावकों के बीच स्नेहमय संबंध शिथिल या खत्म हो जाते हैं अथवा जिनके अभिभावक या परिवार-जन ड्रग/मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, सामान्यता वे बच्चे ड्रग दुरुपयोग के पीड़ित बन जाते हैं।

(क) विशेष इकाइयों को ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों के परिवारों और उन अभिभावकों को जो किसी एक अथवा अन्य प्रकार के नशों की लत के आदी हैं, पहचानना चाहिए एवं उनको अपने बच्चों के साथ पैतृक संबंध बनाने हेतु संवेदनशील बनाना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए राजी करने, उनके क्रिया-कलापों के पर्यवेक्षण और अध्यापकों से उनके छात्रों और उनके व्यवहार के बारे में बात करने एवं नशों की लत पहचानने की और इसके इलाज की जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

(ख) जागरूकता लाई जानी चाहिए ताकि लत के कलंक को मिटाया जा सके व इससे उत्पन्न मानसिक पीड़ाओं का उपचार किया जा सके क्योंकि नशों की लत को भी किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता मिले और इसका जल्द से जल्द उपचार किया जा सके।

लावारिस बच्चों में जागरूकता

(क) ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों में सर्वाधिक संख्या लावारिस बच्चों की है। ये सबसे अधिक उपेक्षित एवं कमजोर वर्ग है, सामान्यता: परित्यक्त एवं उनके परिवारों द्वारा छोड़े गये हैं। इसलिए, लावारिस बच्चों के साथ कार्य करने वाली एनजीओ के साथ इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अति आवश्यकता है।

(ख) विशेष इकाइयाँ व्यसनी लावारिस और शहरी स्लम बस्ती के बच्चों को पहचान करेंगी और उनको नशा-मुक्ति केंद्र (केंद्रों) या पुनर्वास केंद्र (केंद्रों), जैसी भी स्थिति हो, में दाखिला करने हेतु प्रबंध करेंगी।

ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों के बीच जागरूकता

ड्रग की लत वाले व्यक्तियों की पहचान के साथ, विशेष इकाईयाँ मनोचिकित्सकों एवं डाक्टरों के साथ मिलकर उनके लिए नियमित संवेदनशील कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का संचालन करेंगी। ऐसे कार्यक्रमों में प्रेरणास्रोत व्यक्तियों और खेल, सिनेमा, साहित्य आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा।

यौन कर्मियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम

विशेष इकाईयाँ रेड-लाइट क्षेत्रों में यौन कर्मियों और उनके बच्चों को ड्रग दुरुपयोग के दुष्परिणामों के बारे में बताने के लिए युक्तिपूर्वक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी।

जेलों में जागरूकता कार्यक्रम

विधिक सेवा संस्थान जेल के कैदियों तथा जेल स्टाफ के लिए स्वापक औषधियों के दुष्प्रभाव के विषय में समय-समय पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

आम जनता के बीच जागरूकता

- (क) विशेष इकाईयाँ स्वापक पदार्थों की गैरकानूनी बिक्री अथवा उपभोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ किसानों को अफीम अथवा ऐसे अन्य पौधों की खेती की मंजूरी प्राप्त है, समय-समय पर स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेंगी।
- (ख) आम जनता को इस बात के प्रति जागरूक बनाया जाएगा कि प्रतिबंधित व वर्जित औषधियों/ड्रग्स के गैरकानूनी कब्जे, दुलाई, बिक्री व खेती आदि के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना देना। कानून के अंतर्गत संरक्षित है तथा उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है।
- (ग) विशेष इकाईयाँ परिवहकों (ट्रांसपोर्टरों) व टैक्सी चालकों को ड्रग्स के परिणामों व दुष्प्रभावों के बारे में साक्षर बनाने के लिए भी नियमित रूप से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेंगी।
- (घ) विधिक सेवा संस्थान विशेष इकाईयाँ स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के कड़े प्रावधानों तथा ड्रग्स के दुरुपयोग के बारे में सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सरकारी व निजी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पंचायत भवन, न्यायालयों, जिला कलक्टरी, उपमंडल दंडाधिकारी कार्यालयों आदि पर सूचनापट्ट विज्ञापन पट्ट आदि प्रदर्शित करेंगी।
- (च) विशेष इकाईयाँ ड्रग्स के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में गाँवों, मेलों व त्योहारों में जागरूकता शिविर आयोजित करेंगी।
- (छ) विशेष इकाईयाँ पुनर्वास कालोनियों, आवासीय क्षेत्रों, बाजारों में विभिन्न संगठनों/समितियों के साथ मिलकर जागरूकता शिविर आयोजित करेंगी।
- (ज) एस.एल.एस.ए. डाक विभाग, कोरियर एजेंसियों तथा वित्तीय संस्थानों को उनके कर्मचारियों को इन एजेंसियों के माध्यम से गुप्त रूप से ड्रग्स की आवाजाही (दुलाई) के प्रति संवेदनशील रहने के लिए शामिल करने हेतु प्रयास करेगी।

केमिस्ट व औषधि / ड्रग्स विक्रेताओं के बीच जागरूकता

- (क) विशेष इकाईयाँ केमिस्ट व औषधि विक्रेताओं को ड्रग्स के दुष्प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाएंगी।
- (ख) केमिस्टों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए कि वे नियमित रूप से चिकित्सीय ड्रग्स खरीदने वाले बच्चों व युवाओं के प्रति सतर्क रहें व उन्हें यह ड्रग्स बेचने से इंकार करें।
- (ग) ड्रग्स बेचने वालों की पहचान की जायेगी तथा उनके लिए भी समान रूप से संवेदनशील बनाने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
- (घ) पुलिस को भी संवेदनशील बनाया जा सकता है कि वह गली विक्रेताओं, पान की दुकानों आदि में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे व इस व्यसन की रोकथाम में शामिल हो।

इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के द्वारा जागरूकता

एस.एल.एस.ए. को ड्रग्स के दुष्प्रभावों व इससे छुटकारा पाने के साधनों पर नियमित रेडियो वार्ताएं व टीवी कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इन कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों, आदर्श व्यक्तियों आदि को शामिल किया जाएगा।

नशामुक्ति/पुनरुद्धार केन्द्रों के साथ समन्वय

- (क) विशेष इकाईयाँ माह में कम से कम एक बार अपनी अधिकार क्षेत्र में आने वाले नशामुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों का दौरा करेंगी। विशेष इकाईयाँ तालुका के भीतर पुनर्वास व नशामुक्ति केन्द्रों की एक सूची तैयार करेंगी तथा सूचना को लगातार अद्यतन करेंगी। यह इस सूची को इन्हें चलाने वाले व इनकी पृष्ठभूमि के ब्योरे सहित एस.एल.एस.ए. को भी भेजेगी।

- (ख) विशेष इकाइयाँ पुनर्वास/ नशामुक्ति केन्द्रों में सुविधाओं की पर्याप्तता का आकलन करने हेतु इनमें प्रदान की गयी सुविधाओं का निरीक्षण करेंगी।
- (ग) विशेष इकाइयाँ सलाहकार, मनोवैज्ञानिकों व डाक्टरों के दौरों के बारे में अभिलेख का निरीक्षण करेंगी।
- (घ) विशेष इकाइयाँ यह देखने हेतु कि ड्रग्स पुनर्वास केन्द्रों में स्टाफ की कमी न हो तथा स्टाफ पीड़ितों की संख्या के अनुरूप हो, कर्मचारियों के अनुपात की जाँच करेंगी।
- (च) विशेष इकाइयों को जब भी कर्मचारियों की संख्या या आधारभूत सुविधाओं में कमी नजर आए, वे इस सम्बन्ध में डी. एल.एस.ए. को उपयुक्त सिफारिशें करेंगी जो मामले को सम्बद्ध प्राधिकारियों तक ले जायेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कमियाँ पूरी कर दी गयी हैं।
- (छ) यदि विशेष इकाई पीड़ितों के मानव अधिकार का उल्लंघन देखती है, तो वह तुरंत टी.एल.एस.सी. के अध्यक्ष को एक रिपोर्ट दाखिल करेगी जो इस रिपोर्ट पर गौर करेंगे और कानूनी कार्यवाही करने से पहले मामले पर स्वयं विचार करेंगे। टी.एल.एस.सी. उन मामलों में कानूनी सहायता भी प्रदान करेगी जहां पीड़ित की ओर से कानूनी कार्यवाही की जानी हो।
- (ज) विशेष इकाई पुनर्वास केन्द्रों से सूचना भी प्राप्त करेंगी एवं सम्बंधित डी.एल.एस.ए. को मासिक रिपोर्ट भेजेगी जिसमें पीड़ितों का ब्यौरा, की गयी गतिविधियाँ, मनोचिकित्सकों व डाक्टरों के दौरे का विवरण एवं विशेष इकाई की रिपोर्ट पर किये गए सुधार के उपायों, यदि कोई हों, को भी दिया जाएगा।
- (झ) विशेष इकाई पीड़ितों के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर का प्रबंध एवं आयोजन करेगी। सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक रूप से सक्रिय समूहों को भी ऐसे जागरूकता शिविरों में पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य के साथ शामिल किया जाएगा।

हिस्सेदारों का प्रशिक्षण / रिफ्रेशर कोर्स

एस.एल.एस.ए. स्वयं अथवा राज्य न्यायिक अकादमी के साथ मिलकर न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, विधिक परिषद के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों एवं न्यायालय के मंत्रालयी कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स, विशेष प्रशिक्षण एवं सम्मलेन का प्रबंध एवं आयोजन करेगी।

26 जून, को ड्रग्स के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना

समस्त विधिक सेवा संस्थाएं विशेष इकाई की सहायता से प्रतिवर्ष 26 जून को 'ड्रग्स के दुरुपयोग एवं इसके अनैतिक व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाने के लिए व ड्रग्स के दुरुपयोग व इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।

ड्रग्स के व्यसन से सुधारे हुए व्यक्तियों का सहयोग

विशेष इकाई अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो पूर्व में ड्रग्स के व्यसन में लिप्त रहे हों, एवं जागरूकता शिविरों में उनके अनुभव को बताने हेतु उनको शामिल करेगी।

ड्रग्स विरोधी क्लब

- (क) विशेष इकाइयाँ विद्यालयों व महाविद्यालयों को निवेदन करेंगी व उन्हें विद्यालयों/महाविद्यालयों में ड्रग्स विरोधी क्लब खोलने के लिए शामिल करेंगी ताकि विद्यार्थी आदर्श बनें व अपने साथियों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों की जानकारी दें।
- (ख) विशेष इकाइयाँ विद्यालयों/महाविद्यालयों में ड्रग्स विरोधी क्लबों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। जैसा कि पहले वर्णित है, इसके लिए विधिक साक्षरता क्लब व विधिक सेवा क्लीनिक का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को शामिल करना

अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो बदले में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जायेंगे व लोगों को स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनायेंगे।

NALSA (LEGAL SERVICES TO SENIOR CITIZENS)

SCHEME, 2016

1. BACKGROUND

1.1 The Senior Citizens constitute a class in themselves¹. They are a reservoir of experience and knowledge, yet in many cases they are marginalised and almost wished away by the younger sections of the society as a burden on the society. The senior citizens do not constitute a homogenous group, the differences being based on the age gap amongst the senior citizens themselves, level of physical and mental alertness, their ability to work and such like.

1.2 Over the years, with advancement in science, there has been a substantial increase in life expectancy. As mentioned in the National Policy on Senior Citizens, 2011, “the demographic profile depicts that in the years 2000-2050, the overall population in India will grow by 55% whereas population of people in their 60 years and above will increase by 326% and those in the age group of 80+ by 700% - the fastest growing group.” 1/8th of the world's elderly population lives in India. In real terms the population of elderly persons has increased from nearly 2 crores in 1951 to 7.2 crores in 2001 to 10.38 crores in 2011. Thus about 8% of the population is above 60 years. The highest percentage of people aged above 60 years is found in Kerala with the elderly constituting 12.55% of the population of the state. The number of females is larger in the category of 60+ age group with the number of females being 5,27,77,168 to 5,10,71,872 males as per the Census of 2011.

1.3 Senior citizens face a myriad of challenges- social, physical, mental and economic which are unique to them. The economic problems could be on account of loss of employment with a consequent loss of income and economic insecurity. Physical problems include health and medical problems. Social problems could be lack of familial support and social maladjustment. Security is another major issue for the older persons. The problem is made more acute with the break-up of the joint family system and more and more

¹Note: For the purposes of this Scheme, the persons above the age of 60 years are referred to as 'senior citizens' and the terms 'older persons', 'elder persons' are used synonymously.

elderly persons being left to fend for themselves. There is migration of productive members of the family from the rural to urban areas. As such the women and the older persons in rural areas face greater problems.

1.4 There is also evidence of systematic and continuous abuse of the elderly i.e. infliction of physical, emotional or psychological harm on the older persons. Half of the elderly population reportedly experience abuse besides disrespect and neglect. According to the report of the National Crime Records Bureau (NCRB), a total of 8,973 cases were registered as crimes against senior citizens from January 2014 to October, 2014. As such every society and State recognizes certain rights of the senior citizens, distinct from the rest of the society.

1.5 The issue of ageing has been raised at the United Nations from time to time since 1948. The World Assembly on Ageing was held in Vienna in 1982 where an International Plan of Action on Ageing was adopted with the objective to strengthen the ability of individual countries to deal effectively with the ageing in their population, keeping in mind the special concerns and needs of the elderly. In 1991, the UN General Assembly adopted certain principles aimed at independence, participation, care, self-fulfilment and dignity of the older persons. 1st October has been declared as the International Day for the Elderly, now known as the International Day of the Older Persons.

2. CONSTITUTIONAL GUARANTEES

2.1 The Constitution of India guarantees the right to life and liberty of every individual under Article 21. This has been interpreted to include the right to live with dignity and would encompass the right to live with dignity of the senior citizens. Article 41 of the Constitution lays down that the State shall, within the limits of economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, *old age*, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. Article 46 also imposes a positive obligation on the State to promote with special care the economic interests of the weaker

sections of the people and to protect them from social injustice and all forms of exploitation. Articles 41 and 46 are included in the Directive Principles of State Policy which are not enforceable in any court of law, nevertheless, they impose positive obligations on the State and are fundamental in the governance of the country.

2.2 Entry 9 in the State List and entries 20, 23 and 24 of the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution relate to old age pension, social security and social insurance and economic and social planning. Entry 24 in the Concurrent List specifically deals with the 'Welfare of labour, including conditions of work, provident funds, liability for workmen's compensation, invalidity and old age pension and maternity benefits.' Thus, there are several constitutional entries relating to old age.

3. LEGISLATIVE FRAMEWORK

3.1 Most of the legislation as exists relates to making provision for maintenance for the parents and does not refer to senior citizens specifically. **Hindu Law** has recognized the obligation of the sons to maintain the parents, who were not able to maintain themselves since ancient times. Under the **Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956** aged or infirm parents are entitled to maintenance from son and daughter provided the parents are unable to maintain himself/herself out of his/her own earnings or other property. The **Muslim Personal Law** places an obligation on children in easy circumstances to maintain their parents, even if the latter are able to earn something for themselves. A person is also bound to maintain his paternal and maternal grandfathers and grandmothers, if they are poor and not otherwise, to the extent as he is bound to maintain his poor father.

3.2 **Sections 125 to 128, Code of Criminal Procedure, 1973** enable the father or mother, who is unable to maintain himself or herself to claim maintenance from his/her major son/daughter, if they neglect or refuse to maintain the parents. This is a secular law and applies across all religions. If the person against whom the order has been passed fails to pay the amount of maintenance without any sufficient reason, execution proceedings can be filed

and the court may even issue a warrant imposing fines for the breach of the order and the person may be imprisoned. Similarly, the mother may file a petition against her son under the **Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005** if she is subjected to domestic violence and claim various reliefs provided under the Act.

3.3 Considering the need to protect the rights of senior citizens and to further the constitutional objectives, the **Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007** was enacted. Under this Act, an application for maintenance can be made by (a) 'Parent', i.e., father or mother whether biological, adoptive or step father or step mother; and (b) 'Senior Citizen', i.e. a person who has attained the age of 60 years or above. The application for maintenance can be made by (a) parent or grand-parent, against one or more of his/her children, i.e., son, daughter, grandson and granddaughter, not being a minor; and (b) childless senior citizen, against his/her relative, i.e. legal heir, not being a minor, who is in possession of or would inherit his property after his death. The Act provides for the setting up of one or more Tribunals for each sub-division for the purpose of adjudicating and deciding upon the order of maintenance and for the constitution of Appellate Tribunal for each district to hear the appeal against the order of the Tribunal. Importantly, under the Act, the right to receive maintenance is enforceable against transferee of property of the parent/senior citizen, if the transferee has notice of the right, or if the transfer is gratuitous though the same is not enforceable against the transferee for consideration and without notice of right. The Tribunal may even declare transfer of property by a senior citizen as void at the option of the transferor where a senior citizen has transferred the property by way of gift or otherwise, subject to the condition that the transferee shall provide the transferor with basic amenities and basic physical needs, and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs.

3.4 Another important feature of the Act is that abandoning of senior citizen by anyone having care or protection of such senior citizen is an offence punishable for a maximum period of 3 months or fine upto Rs.5000/- or with

both. This is a very important provision for protecting the life and property of senior citizens and to prevent their being abandoned at places from where they could not be found. The Act also provides:

- for the establishment of Old Age Homes for Indigent Senior Citizens i.e. senior citizens who do not have sufficient means.

- that the State Government has to ensure that the Government hospitals or hospitals funded fully or partially by the Government shall provide beds for all senior citizens; separate queues are arranged for senior citizens and that facility for treatment of chronic, terminal and degenerative diseases is expanded for senior citizens.

4. GOVERNMENTAL SCHEMES FOR SENIOR CITIZENS

4.1 Different Ministries under the Central Government have come up with different Schemes for senior citizens. The National Policy on Senior Citizens focusses on mainstreaming senior citizens, especially older women, promoting the concept of 'ageing in place' or ageing in own home, housing, income security and homecare services, old age pension and access to healthcare insurance schemes and other programmes and services to facilitate and sustain dignity in old age. The Schemes for Senior Citizens include:

- i) Integrated Programme for Older Persons under which financial assistance upto 90% of the project cost is provided to NGOs for establishing and maintaining Old Age Homes, Day Care Centres, Mobile Medicare Units and to provide non-institutional services to older persons.
- ii) Rebate in income tax, deduction in respect of medical insurance premium upto Rs.30,000/- under section 80D of Income Tax Act, 1961, deduction under section 80D for treatment of specified ailment is Rs.60,000/- for senior citizens, separate counters for senior citizens at the time of filing the income tax returns and on the spot assessment facility.

- iii) 'Senior Citizens Saving Scheme' under which the citizens of 60 years and above can deposit Rs.1000/- or its multiples in post offices doing savings bank work which carries an interest of 9% per annum and the maturity period of the deposit is five years, extendable by another three years. For senior citizens i.e. those having the age of 65 years and above, higher rates of interest on saving schemes are available.
- iv) Under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, central assistance is given towards pension at the rate of Rs.200/- per month to persons above 60 years and at the rate of Rs.500/- per month to senior citizens of 80 years and above belonging to a household below the poverty line and the same is expected to be supplemented by at least an equal contribution by the States.
- v) Discount on basic fare for domestic flights in economy class and priority in boarding the flights.
- vi) Concession for senior citizens in all classes and trains, priority for lower berths, separate counters for senior citizens for purchase/ booking or cancellation of tickets, wheel chairs for use of senior citizens are available at all junctions, District Headquarters and other important stations.
- vii) Reservation of two seats in the front rows of buses of State Road Transport Undertakings for senior citizens and even fare concession.
- viii) Separate queues for older persons in hospitals for registration and clinical examination and concessions to senior citizens in treatment of diseases like kidney problem, cardiac problem, diabetes and eye problem.
- ix) Under the Antyodaya Scheme, the Below Poverty Line families which include older persons are provided food grains i.e. 35 kgs

per family per month at concessional rates. The persons above 60 years from the BPL category were given priority for identification.

- x) Under the Annapoorna Scheme being implemented by the States/ UT Administration, 10 kgs of food grains per beneficiary per month are provided free of cost to those senior citizens who remain uncovered under the old age pension scheme.
- xi) Priority in issuance of ration to ration card holders who are over 60 years of age in Fair Price Shops.
- xii) Priority in giving telephone connections by the Ministry of Telecommunications and priority to faults/ complaints of senior citizens by registering them under senior citizens category with a VIP Flag which is a priority category.

4.2 Priority is also given to cases of senior citizens in the courts with a view to expeditious disposal. Under the **Right to Information Act, 2005** second appeals filed by senior citizens are taken on a high priority basis.

4.3 Several States have come out with their own Schemes and Programmes for the benefit of the senior citizens especially to provide security to senior citizens.

4.4 Despite the existence of various legal provisions and Schemes for senior citizens, their benefits have reached very few senior citizens. Often the senior citizens are unaware of their entitlements and/ or they are in too destitute a condition to be able to access the said benefits. They are not only deprived of their properties but also subjected to all forms of abuse ripping them off their dignity as well. For the widows who are senior citizens or for the retired senior citizens, it often becomes a herculean task to get their pension and other benefits. The laws and the Schemes lay down the entitlements of the senior citizens and if the senior citizens have any difficulty in availing their entitlements under the laws and the Schemes, it is felt by NALSA that Legal

Services Institutions have a significant role to play and they can play a pivotal role in ensuring access to the benefits of the Schemes and the legal provisions to the senior citizens.

4.5 The Preamble of the Legal Services Authorities Act, 1987 emphasises that the Legal Services Authorities are concerned with the weaker sections of the society and imposes a duty on them to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. Under Section 4(b) of the Legal Services Authorities Act, 1987, the “Central Authority” i.e. the National Legal Services Authority has been obligated to “frame the most effective and economical schemes for the purpose of making legal services available under the provisions” of the Act. Further Section 4(l) enjoins the “Central Authority” to take appropriate measures for spreading legal literacy and legal awareness amongst the people and, in particular, to educate weaker sections of the society about the rights, benefits and privileges guaranteed by social welfare legislations and other enactments as well as administrative programmes and measures. Likewise, under Section 7(c) it is the function of the State Authority i.e. the State Legal Services Authority to undertake preventive and strategic legal aid programmes. Thus the Act itself casts a duty upon the Legal Services Authorities to spread legal awareness about the laws and various administrative measures and programmes and to undertake preventive and strategic programmes.

5. NAME OF THE SCHEME

5.1 The Scheme shall be called “**NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016**”. In this Scheme, the persons above the age of 60 years would be regarded as senior citizens.

5.2 The terms PLVs, Legal Services Clinics, Front Office, Panel Lawyers and Retainer Lawyers will mean the same as defined under the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 and National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 and the NALSA Scheme for Para Legal Volunteers (Revised).

6. OBJECTIVES OF THE SCHEME

The main objectives of the Scheme are as follows:

- 1) To outline the basic rights and benefits that should be accorded to senior citizens;
- 2) To strengthen legal aid and representation at the national, state, district and taluka levels for senior citizens who are entitled under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987² in availing the benefits of the various legal provisions which exist;
- 3) To ensure access to various Governmental Schemes and programmes to the senior citizens;
- 4) To ensure that the authorities and institutions such as the Tribunals and the Appellate Tribunals under the **Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007**, old age homes for senior citizens have been established;
- 5) To create and spread awareness about the rights and entitlements of the senior citizens under the various laws and Governmental Schemes and programmes through the District Legal Services Authorities, Taluka Legal Services Committees, panel lawyers, para-legal volunteers, students and legal services clinics;
- 6) To enhance capacities at all levels of panel lawyers, para-legal volunteers, volunteers in legal services clinics, government officers tasked with the implementation of the various schemes, service providers, police personnel, non-governmental organizations by organizing training, orientation and sensitization programmes; and
- 7) To undertake research and documentation to study the various schemes, laws etc. to find out the gaps, the needs and to make suggestions to the appropriate authorities.

²Note: For the purposes of grant of legal aid, the eligibility criteria is laid down in Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987. All women including those who are senior citizens would be entitled to legal aid under Section 12 of the Act and all those who fall in any of the categories enumerated in Section 12 including senior citizens would be entitled to legal aid. However, other services such as assistance in availing benefits under Governmental schemes, legal awareness may be provided across the spectrum to all senior citizens.

The ultimate objective of the Scheme is to ensure that the senior citizens live a life of dignity and enjoy all the benefits and facilities which are due to them.

7. PLAN OF ACTION

7.1 Establishment of Tribunals, Appellate Tribunals etc.

As a precursor to the senior citizens being able to enforce their rights, it is essential that the institutions contemplated under the law for providing relief to them are set up.

- a) Section 7 of the **Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007** provides for the setting up of one or more Tribunals for each sub-division for the purpose of adjudicating and deciding upon the order of maintenance. Section 15 of the Act also provides for the constitution of an Appellate Tribunal for each district to hear appeals against the orders of the Tribunal. The SLSAs and the DLSAs shall take up the issue of constitution of Tribunals and Appellate Tribunals as per the mandate of the Act on an urgent basis with the State Government.
- b) Section 19 of the **Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007** provides for the establishment of Old Age Homes for Indigent Senior Citizens i.e. senior citizens who do not have sufficient means, as determined by the State Government, from time to time to maintain themselves. The SLSAs and DLSAs will take up with the State Government, the matter of establishment of sufficient number of Old Age Homes for Indigent Senior Citizens. The SLSAs and DLSAs may also explore the possibility of setting up of Old Age Homes for Senior Citizens under Corporate Social Responsibility.
- c) SLSAs should carry out regular visits to the old age homes to ensure that the senior citizens have adequate facilities and that they are treated with dignity.

7.2 **Legal Services Clinics**

- a) SLSAs shall set up Legal Services Clinics at every Tribunal and Appellate Tribunal established under the **Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007** and also in old age homes.
- b) While at present there is a bar to lawyers appearing before the said Tribunals, it shall be ensured that trained para-legal volunteers are available in the Legal Services Clinics to assist the senior citizens in making applications and carrying out other procedural requirements.
- c) Opening of the Legal Services Clinics shall be communicated to all the Government bodies and departments including the police, NGOs.
- d) The Legal Services Clinics so established shall be governed by the National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 in respect of their functioning, infrastructural facilities, maintenance of records and registers, deputing of PLVs and control over such clinics.
- e) The SLSAs and DLSAs shall encourage the students in Legal Services Clinics set up in colleges and universities to visit old age homes and provide legal services to senior citizens in the community.
- f) The Legal Services Clinics shall also facilitate the widows and senior citizens in getting pensionary benefits and other entitlements.

7.3 **Legal Representation**

- a) All senior citizens who are entitled to legal aid under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987 shall be provided legal aid on a priority basis.
- b) It is essential that the Legal Services Institutions are accessible in terms of physical infrastructure for the senior citizens, otherwise access to justice would become meaningless for them. Accordingly, steps should be taken by Legal Services Institutions to ensure accessibility such as having the front office on the ground floor.

- c) SLSAs shall ensure that the senior citizens do not have to face any kind of discomfort in procedural wrangles.
- d) Every District Legal Services Authority and Taluka Legal Services Committee shall designate at least three panel lawyers as Legal Services Officers for the purpose of this Scheme.
- e) The District Legal Services Authorities shall also depute sufficient number of PLVs for the implementation of this Scheme and for this purpose they shall draw upon PLVs who are trained to attend to the problems of senior citizens. Efforts should also be made to identify and train PLVs from amongst the senior citizens, both men and women.
- f) The PLVs shall act as the interface between the senior citizens in the community who are unable to access the Legal Services Institutions and the Legal Services Institutions. Where it is not possible for the senior citizens to reach the Legal Services Institutions on account of their conditions, the Legal Services Institutions shall reach out to them through panel lawyers and PLVs.
- g) SLSAs shall provide training to panel lawyers to enable them to sensitively deal with cases of senior citizens. The SLSAs shall ensure that the legal services provided to senior citizens are of the highest quality so that meaningful and effective legal services can be provided to them.

7.4 Identification of issues affecting senior citizens

- a) SLSAs and DLSAs shall make an endeavour to identify the core issues which affect the senior citizens in a particular area and deal with them accordingly. While some issues may be common across geographical barriers, there may be some issues which are unique to some areas such as in some areas, the senior citizens being on their own may be a major issue as their families may have migrated to cities or other countries. Certain health problems may be more acute in a particular area.

- b) SLSAs and DLSAs shall then seek solutions to the issues that arise on regional basis and use their resources to implement the solutions, including through coordination with the concerned governmental agencies.
- c) SLSAs, DLSAs should facilitate the setting up of self-help groups of senior citizens to encourage community support and to reduce a sense of dependency on the part of the senior citizens.

7.5 **Database**

- a) All SLSAs shall have database of all the existing Central or State Schemes, policies, regulations, policy directives concerning senior citizens and the same may also be published in the form of pamphlets or booklets to be used in dissemination of information and creating awareness about the rights of senior citizens.
- b) SLSAs and DLSAs shall publish information booklets in regional languages explaining in simple terms:
 - 1) provisions of law such as on maintenance, Wills, social welfare schemes;
 - 2) details about access to remedies; and
 - 3) contact details of helpline numbers available across the state.

Such information booklets may be distributed to senior citizens and used during awareness programmes.

- c) DLSAs shall also maintain a database of hospitals, medical centres and other facilities which may be available for senior citizens in their area.
- d) The information maintained by DLSAs shall be circulated to the Taluka Legal Services Committees, village panchayats, legal services clinics and PLVs.

- e) SLSAs/ DLSAs shall also upload the data collected on their website.
- f) DLSAs shall prepare a database of senior citizens in their area so that PLVs may be deputed for their assistance as and when necessary. Such database may also be shared with law enforcement agencies to address the security concerns of senior citizens. This would also enable the DLSAs to provide immediate assistance to persons in distress by coordinating with the concerned departments such as health or police departments.

7.6 Implementation of various Schemes

- a) SLSAs shall take all steps to disseminate information regarding the policies, schemes, programmes to the senior citizens and government functionaries.
- b) SLSAs shall ensure that such information is prominently displayed in old age homes, hospitals and other places which are frequented by senior citizens.
- c) Various States have special schemes for security of senior citizens such as registration of senior citizens with the concerned police stations. SLSAs may liaise with the law enforcement authorities to address the security concerns of senior citizens and to enhance the interface between the police and the senior citizens such as through increased patrolling, maintaining regular contact with senior citizens once every week or every fortnight. SLSAs, DLSAs may depute PLVs to assist in the registration of senior citizens with the police stations, in getting servant and tenant verifications done and such other matters which concern the security of the senior citizens.
- d) Legal services to be provided would include informing the beneficiaries about the different government schemes to which they are entitled and the benefits thereunder; assisting the beneficiaries to procure the documents required for availing the benefits under the schemes; informing the beneficiaries of the name and address of the

designated authority or the officer who may be approached for availing the benefits under the schemes; offering to send para-legal volunteers with the beneficiaries to the office of the designated authority or to the officer concerned under any of the schemes.

- e) SLSAs shall develop effective coordination and interface with all the governmental bodies or functionaries, non-governmental organizations and other organizations concerning the welfare of senior citizens to ensure that the benefits of the various schemes that exist for senior citizens reach the senior citizens.

7.7 Awareness

- a) SLSAs shall draw up yearly programme for creating awareness on the rights of senior citizens and should endeavour to create a culture which is sensitive to the rights and needs of senior citizens.
- b) The Legal Services Institutions shall organize awareness programmes to sensitize people to the needs of the senior citizens and that it is the moral duty of children to take care of senior citizens and not to leave them in a destitute condition in their old age.
- c) The Legal Services Institutions should explain the need to treat the senior citizens with dignity.
- d) SLSAs along with DLSAs shall conduct awareness programmes to generate awareness about the entitlements of the senior citizens under various laws and government schemes.
- e) SLSAs, DLSAs and Taluka Legal Services Committees shall also create awareness regarding the availability of legal services for senior citizens to facilitate access to their entitlements.
- f) Special awareness drives may be undertaken in old age homes or other places frequented by senior citizens and PLVs and students may be encouraged to actively participate in such programmes.

- g) While organising awareness programmes, the DLSAs and Taluka Legal Services Committees may also coordinate with the relevant health department to organise special health or check-up camps for senior citizens such as general health camps, eye check-up camps etc. or with the police to have a special registration drive of senior citizens.
- h) All possible methods of spreading awareness should be used such as Doordarshan, All India Radio, private TV channels, hoardings, organising cultural programmes and setting up stalls at religious fairs, festivals.
- i) SLSAs should engage with senior citizens and actively avail of their services in carrying out awareness programmes on various issues as the senior citizens may have greater credibility and appeal in an area.

7.8 Training and Orientation Programmes

SLSAs shall conduct training and orientation programmes for panel lawyers and PLVs to sensitize them on how to deal with cases of senior citizens and to build their capacity, knowledge and skill. Sensitization programmes should also be organized for other stakeholders such as the government functionaries, police personnel and NGOs.

7.9 Observance of the International Day for the Older Persons

All Legal Services Institutions shall observe 1st October of every year as the International Day for the Older Persons and organize awareness programmes on that day for creating awareness of the rights and entitlements of senior citizens.

NALSA (LEGAL SERVICES TO VICTIMS OF ACID ATTACKS)
SCHEME, 2016

1. BACKGROUND

- 1.1 Acid attacks are the most pernicious form of violence that is resorted to and is mostly gender specific. While acid attacks are reported in many parts of the world, the incidents of acid attacks in India have been on the rise. As per the data maintained by National Crime Records Bureau, the number of incidents of acid attacks reported in 2011 were 83, 85 in 2012 and 66 in 2013 though according to the Acid Survivors Foundation India (ASFI), at least 106 such attacks were reported in 2012, 122 in 2013 and 309 in 2014 and according to the activists, the figure rose to 500 in 2015. However, according to the National Crime Records Bureau, 222 cases of acid attacks were reported in 2015. The figures may vary but the number of acid attacks have been on the rise. There are also many unreported cases of acid attacks, especially in the rural areas and some such incidents may even result in the death of the victims. Many incidents are not reported due to fear of backlash from the perpetrators.
- 1.2 The incidents of acid attacks in India show that they are generally against the women. Quite often they are a result of a rejection of the marriage proposal or sexual advances. Conflicts related to dowry can also result in acid attacks. The acid attacks are also resorted to as a means of taking revenge or due to family or land disputes or over inheritance and other property issues. Occasionally, acid attacks may occur due to social or political or religious beliefs. The Justice Verma Committee constituted by the Central Government in 2013 in the aftermath of the Nirbhaya case to suggest reforms in the criminal justice system dealt with the issue of acid attacks and observed:

“We understand that a most heinous form of attack on women, which is commonplace in several Asian and African countries is the throwing of acid on women for a multitude of reasons, including alleged adultery, turning down advances from men, and also as a form of domestic violence. Acids and other corrosive substances are thrown on women or administered to them, thereby causing death or physical and psychological damage with unfathomable

consequences. The 226th Report of the Law Commission of India, which dealt particularly with this offence stated:

“Though acid attack is a crime which can be committed against any man or woman, it has a specific gender dimension in India. Most of the reported acid attacks have been committed on women, particularly young women for spurning suitors, for rejecting proposals of marriage, for denying dowry etc. The attacker cannot bear the fact that he has been rejected and seeks to destroy the body of the woman who has dared to stand up to him.”

5. In a certain sense, the aggressor is conscious that self-worth and self-esteem of a woman often lies in her face, which is a part of her personality. The dismemberment of the face or the body is not merely an offence against the human body but will cause permanent psychological damage to the victim. What happens when there is permanent physical and psychological damage to a victim, is a critical question and law makers have to be aware that offences are not simply based on the principle of what might be called offence against the body, i.e., damage of the body, but they must take into account the consequences on the right to live with dignity which survives the crime. This is an important consideration both in the fields of criminology and also in the field of sociology.”

The factors which lead to acid attacks were thus discussed in both the Justice Verma Committee Report and in the 226th Report of the Law Commission as also the effects of acid attacks. Apart from lifelong bodily disfigurement and physical challenges often requiring life-long treatment, the psychological challenges are greater and deeply affect the victims apart from affecting the employability of the victims. It is also seen that there are limited medical facilities available in the country for acid victims with the number of specialised burn hospitals being limited and it becomes a herculean task for the victim to get admitted in a hospital, much less to get treatment which may often span from a few months to several years. The treatment may also involve huge costs for the victims and their families. The rehabilitation of the victims also becomes an important issue.

2. CONSTITUTIONAL GUARANTEES

- 2.1 The Constitution of India guarantees the right to life and liberty of every individual under Article 21. This has been interpreted to include the right to live with dignity and would encompass the right to live with dignity of all including victims of acid attacks. Article 41 of the Constitution lays down that the State shall, within the limits of economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

3. LEGISLATIVE FRAMEWORK

- 3.1 In the absence of any specific provisions to deal with incidents of acid attacks, such cases were generally dealt with under Section 326 of the IPC and other provisions. However, the Justice Verma Committee recommended that acid attacks be defined as an offence in the IPC and observed:

“9. The gender specificity and discriminatory nature of this offence does not allow us to ignore this offence as yet another crime against women. We recommend that acid attacks be specifically defined as an offence in the IPC, and that the victim be compensated by the accused. However in relation to crimes against women, the Central and State governments must contribute substantial corpus to frame a compensation fund. We note that the existing Criminal Law (Amendment) Bill, 2012, does include a definition of acid attack.”

Thus a recommendation was made not only for the inclusion of a specific offence in respect of acid attacks but also for providing compensation to the victims of acid attacks.

- 3.2 By virtue of Criminal law (Amendment Act), 2013, Sections 326A and 326B were inserted in the Indian Penal Code providing for punishment to anyone who causes permanent or partial damage or deformity to, or burns or maims or disfigures or disables, any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person, or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt or who throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person, or

attempts to use any other means, with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person. “Acid” was defined to include any substance which has acidic or corrosive character or burning nature that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability.

- 3.3 The issue of acid attacks also came up before the Supreme Court and in its order dated 18.7.2013 in **Laxmi v. Union of India**, W.P. (Crl.) No.129/2006, the Supreme Court directed that over the counter sale of acid would be completely prohibited unless the seller maintained a log/ register recording the sale of acid which would contain the details of the person(s) to whom acid(s) is/ are sold and the quantity sold. Further the acid would be sold only after the buyer had shown a photo ID issued by the Government which also had the address of the person and the reason/ purpose for procuring acid was specified. It was also directed that no acid shall be sold to any person who was below 18 years of age. Directions were also issued for educational institutions, research laboratories, hospitals, Government Departments and departments of Public Sector Undertakings who were required to keep and store acid. In the final order dated 10.4.2015, it was reiterated that an appropriate notification banning the sale of acid across the counter should be issued within three months from the date of the order. Further the Supreme Court in **Parivartan Kendra and Anr. V. Union of India and Ors.** WP (Civil) No.867 of 2013 decided on 7.12.2015 directed that stringent action be taken against those erring persons supplying acid without proper authorization and also the concerned authorities be made responsible for failure to keep a check on the distribution of the acid.
- 3.4 Regarding proper treatment, after care and rehabilitation of the victims of acid attack, a direction was issued by the order dated 10.4.2015 to the State Governments/ Union Territories to take up the matter with all the private hospitals to the effect that private hospitals should not refuse treatment to victims of acid attack and that full treatment should be provided to such victims including medicines, food, bedding and reconstructive surgeries. It was also observed that action may be taken against hospital/ clinic for refusal to treat victims of acid attacks and other crimes in contravention of the provisions of Section 357C of the Code of Criminal Procedure, 1973.

A direction was also issued that the hospital, where the victim of an acid attack was first treated should give a certificate that the individual is a victim of an acid attack which may be utilized by the victim for treatment and reconstructive surgeries or any other scheme that the victim may be entitled to with the State Government or the Union Territory, as the case may be.

- 3.5 Taking note of the fact that acid attack victims need to undergo a series of plastic surgeries and other corrective treatments, the Supreme Court in its order dated 18.7.2013 directed that the acid attack victims shall be paid compensation of at least Rs.3 lakhs by the concerned State Government/ Union Territory as the after care and rehabilitation cost, out of which a sum of Rs.1 lakh would be paid to the victim within 15 days of the occurrence of such incident (or being brought to the notice of the State Government/ Union Territory) to facilitate immediate medical attention and expenses in this regard. While disposing off the said writ petition on 10.4.2015, it was directed that the Member Secretary of the State Legal Services Authority take up the issue with the State Government so that the orders passed by the Court were complied with and a minimum of Rs.3,00,000/- was made available to each victim of acid attack. The Member Secretaries of the State Legal Services Authorities were also directed to give wide and adequate publicity in the State/ Union Territory to the Victim Compensation Scheme so that each acid attack victim could take the benefit of the Victim Compensation Scheme. It was also directed that in case of any compensation claim made by any acid attack victim, the matter would be taken up by the District Legal Services Authority, which would include the District Judge and such other co-opted persons who the District Judge felt would be of assistance, particularly the District Magistrate, the Superintendent of Police and the Civil Surgeon or the Chief Medical Officer of that District or their nominee and the said body would function as the Criminal Injuries Compensation Board for all purposes. The matter also came up before the Supreme Court in **Parivartan Kendra and Anr. V. Union of India and Ors.** WP (Civil) No.867 of 2013 decided on 7.12.2015 where it was observed that the State and Union Territory concerned can give even more amount of compensation than Rs.3,00,000/- as was directed in **Laxmi's case**. An important direction given in this case was that all the *States and Union Territories should consider the plight of such victims and take appropriate steps with regard to inclusion of their names under the **disability list**.*

- 3.6 It is thus seen that acid attacks by themselves have been recognised as offences under the Indian Penal Code for which punishment is prescribed. Besides Section 357A Cr.P.C. provides for a Scheme being drawn up by the State Government in coordination with the Central Government for providing funds for the purpose of compensation to the victim and such Schemes have been drawn up in most States and Union Territories which also provide for compensation to victims of acid attacks. The Central Government has issued the Central Victim Compensation Fund Guidelines with an objective to support and supplement the Victim Compensation Schemes of the States and Union Territories. A corpus of Rs.200 crores has been fixed for the purpose. One of the admissible activities under the Central Victim Compensation Fund is “to promote special financial assistance upto Rs.5 lakhs to the victims of acid attack to meet treatment expenses over and above the compensation paid by the State/ Union Territory.” However there is need for greater awareness about the availability of compensation for victims of acid attacks. Despite specific directions to hospitals to provide treatment to victims of acid attacks, it is still not easy for them to get proper treatment. Over the counter sale of acid still remains rampant. It is thus felt by NALSA that Legal Services Institutions have a significant role to play and they can play a pivotal role in ensuring access to the benefits of the Victim Compensation Scheme to the victims of acid attacks and to the medical and other facilities.

4. Role of Legal Services Institutions

- 4.1 The Preamble of the Legal Services Authorities Act, 1987 emphasises that the legal services authorities are concerned with the weaker sections of the society and imposes a duty on them to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason or economic or other disabilities. Under Section 4(b) of the Legal Services Authorities Act, 1987, the “Central Authority” i.e. the National Legal Services Authority has been obligated to “frame the most effective and economical schemes for the purpose of making legal services available under the provisions” of the Act. Further under Section 4(1) enjoins the “Central Authority” to take appropriate measures for spreading legal literacy and legal awareness amongst the people and, in particular, to educate weaker sections of the society about the rights, benefits and privileges guaranteed by social welfare legislations and other

enactments as well as administrative programmes and measures. Likewise, under Section 7(c) it is the function of the State Authority i.e. the State Legal Services Authority to undertake preventive and strategic legal aid programmes. Thus the Act itself casts a duty upon the Legal Services Authorities to spread legal awareness about the laws and various administrative measures and programmes and to undertake preventive and strategic programmes. Besides, under Section 12 of the Act, all women are entitled to legal services as also a person with disability as defined in clause (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

5. NAME OF THE SCHEME

- 5.1 The Scheme shall be called “**NALSA (Legal Services to Victims of Acid Attacks) Scheme, 2016**”.
- 5.2 The terms PLVs, Legal Services Clinics and Panel Lawyers will mean the same as defined under the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 and National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 and the NALSA Scheme for Para Legal Volunteers (Revised).

6. OBJECTIVES OF THE SCHEME

The main objectives of the Scheme are as follows:

- 1) To strengthen legal aid and representation at the national, state, district and taluka levels for victims of acid attacks in availing the benefits of the various legal provisions and schemes for compensation which exist;
- 2) To enable the victims of acid attacks to get access to medical facilities and rehabilitative services;
- 3) To create and spread awareness about the entitlements of the victims of acid attacks through the District Legal Services Authorities, Taluka Legal Services Committees, panel lawyers, para-legal volunteers and legal services clinics;
- 4) To enhance capacities at all levels of panel lawyers, para-legal volunteers, volunteers in legal services clinics, government officers tasked with the implementation of the various schemes, service providers, police personnel,

non-governmental organizations by organizing training, orientation and sensitization programmes; and

- 5) To undertake research and documentation to study the various schemes, laws etc. to find out the gaps, the needs and to make suggestions to the appropriate authorities.

The ultimate objective of the Scheme is to ensure that the victims of acid attacks are appropriately rehabilitated in the society and live a life of dignity.

7. PLAN OF ACTION

7.1 Legal Representation

- a) All victims of acid attacks and where the acid attack results in death, the heirs of victims of acid attacks shall be provided legal aid on a priority basis in order to enable them to get the benefit of the Victim Compensation Scheme.
- b) SLSAs and DLSAs shall ensure that the victims of acid attacks do not have to face any kind of delay in procedural wrangles and the interim compensation is awarded at the earliest.
- c) Support persons and legal representation shall be provided to victims of acid attacks during the recording of their statement under section 164 Cr.P.C., giving evidence etc.
- d) Every District Legal Services Authority and Taluka Legal Services Committee shall designate at least one panel lawyer as Legal Services Officer for the purpose of this Scheme.
- e) The District Legal Services Authorities shall also depute sufficient number of PLVs for the implementation of this Scheme.
- f) The PLVs shall act as the interface between the victims of acid attacks and the Legal Services Institutions. All out endeavour shall be made to reach out to the acid attack victims.

7.2 Legal Services Clinics

- a) SLSAs shall set up Legal Services Clinics at hospitals having specialized facilities for treatment of burns where victims of acid attacks may be referred for treatment. The PLVs and panel lawyers deputed to such Legal Services

Clinics shall be in regular touch with the victims of acid attacks and their relatives and ensure all possible help to them in securing appropriate medical help and treatment.

- b) The PLVs shall provide assistance and support to the families of victims of acid attacks and where possible counselling for them may be arranged so as to bring them out of trauma occasioned by the incident of acid attack.
- c) The PLVs shall also assist the victims of acid attack in obtaining from the hospital where the victim was first treated a certificate that the individual is a victim of an acid attack which may be utilized by the victim for treatment and reconstructive surgeries or any other scheme that the victim may be entitled to with the State Government or the Union Territory, as directed by the Supreme Court in the order dated 10.4.2015.
- d) The PLVs shall ensure that the victims of acid attacks are able to avail of various rehabilitative services that may be available for them.
- e) The Legal Services Clinics shall ensure that action is taken against hospitals which deny treatment to victims of acid attacks on superficial grounds.
- f) Opening of the Legal Services Clinics shall be communicated to all the Government bodies and departments including the police, NGOs.
- g) The Legal Services Clinics so established shall be governed by the National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 in respect of their functioning, infrastructural facilities, maintenance of records and registers, deputing of PLVs and control over such clinics.

7.3 Co-ordination with the Government Departments

- a) The SLSAs shall coordinate with the States and Union Territories to amend the respective Victim Compensation Schemes to bring the same in line with the directions issued by the Supreme Court.
- b) The SLSAs shall remain in touch with the concerned governmental agencies to ensure that adequate funds are always available for disbursal as compensation to victims of acid attacks.
- c) The SLSAs shall take up the matter with the concerned States and Union Territories for taking appropriate steps with regard to inclusion of the names

of the victims of acid attacks under the **disability list** and thereafter to ensure that they get the benefit of all the schemes which are available for persons with disability.

7.4 Database

- a) All SLSAs shall have database of the existing Central or State Schemes, policies, regulations, policy directives concerning victims of acid attacks and the same may also be published in the form of pamphlets or booklets to be used in dissemination of information and creating awareness.
- b) All SLSAs shall have database of the hospital where specialized facilities for treatment of burn victims are available.
- c) The lists prepared shall be circulated annually to all the District Legal Services Authorities which shall further circulate the same to the Taluka Legal Services Committees, village panchayats, legal services clinics and PLVs.
- d) SLASA shall also upload the list on their website.

7.5 Implementation of various Schemes

- a) SLSAs shall take all steps to disseminate information regarding the policies, schemes, programmes that exist for the victims of acid attacks.
- b) Legal services to be provided would include informing the beneficiaries about the different government schemes to which they are entitled and the benefits thereunder; assisting the beneficiaries to procure the documents required for availing the benefits under the schemes; informing the beneficiaries of the name and address of the designated authority or the officer who may be approached for availing the benefits under the schemes; offering to send para-legal volunteers with the beneficiaries to the office of the designated authority or to the officer concerned under any of the schemes.
- c) SLSAs shall develop effective coordination and interface with all the governmental bodies or functionaries, non-governmental organizations and other organizations concerning the welfare of victims of acid attacks to ensure that the benefits of the various schemes especially schemes for rehabilitation reach them.

7.6 Awareness

- a) The Legal Services Institutions shall organize awareness programmes to sensitize people to the needs of the victims of acid attacks so that the community provides support to them which is essential for their rehabilitation.
- b) SLSAs along with DLSAs shall conduct awareness programmes to generate awareness about the Victim Compensation Scheme and the entitlements under the same and various laws and government schemes.
- c) SLSAs, DLSAs and Taluka Legal Services Committees shall also create awareness regarding the availability of legal services for victims of acid attacks to facilitate access to their entitlements.
- d) SLSAs, DLSAs and Taluka Legal Services Committees shall organize awareness drives to highlight that over the counter sale of acids stands prohibited. The PLVs may inform the concerned department or DLSAs if they come across any incidents of sale of acids so that appropriate action can be taken immediately.
- e) All possible methods of spreading awareness should be used such as Doordarshan, All India Radio, distribution of pamphlets, leaflets.

7.7 Training and Orientation Programmes

- a) SLSAs shall conduct training and orientation programmes for panel lawyers and PLVs to sensitize them on how to deal with cases of victims of acid attacks and to build their capacity, knowledge and skill. Sensitization programmes should also be organized for other stakeholders such as the government functionaries, police personnel, medical officers and NGOs.
- b) SLSAs shall, in coordination with the State Judicial Academies, plan and conduct training/ sensitization programmes for Judicial Officers with a view to ensuring quick and adequate award of compensation, including interim compensation, and a fair and dignified treatment of the victims of acid attacks during trial of cases.



SCHEME FOR PARA-LEGAL VOLUNTEERS (REVISED)

&

MODULE FOR THE ORIENTATION - INDUCTION - REFRESHER COURSES FOR PLV TRAINING

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

12/11, JAM NAGAR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD, NEW DELHI – 110 001.

TEL: 91-11-23382778 FAX: 23382121

E-MAIL: nalsa-dla@nic.in

Website: www.nalsa.gov.in

SCHEME FOR PARA-LEGAL VOLUNTEERS (REVISED)

INTRODUCTION

During the year 2009 National Legal Services Authority (NALSA) brought out a scheme called the Para-Legal Volunteers Scheme which aimed at imparting legal training to volunteers selected from different walks of life so as to ensure legal aid reaching all sections of people through the process of Para-Legal Volunteers Scheme; ultimately removing the barriers into access to justice. The Para-Legal Volunteers (PLVs) are expected to act as intermediaries bridging the gap between the common people and the Legal Services Institutions to remove impediments in access to justice. Ultimately, the process aims at Legal Services Institutions reaching out to the people at their doorsteps rather than people approaching such Legal Services Institutions.

The western concept of 'Paralegals' cannot be totally adopted to Indian conditions having regard to illiteracy of large sections of the community: The hours of training as applicable to a regular academic course, cannot be adopted. It should be more like a bridge course conceptualised in a simple and need-based module. The PLVs have to be trained in the basics of different Laws which would be applicable at the grassroot level with reference to their day-to-day life, the subtle nuances employed in the working of a judicial system, and the functioning of various other stakeholders like the Police, officials from Social Welfare Department, Woman and Child Welfare Department and other departments dealing with different beneficial schemes of Central and State Governments including the protection officers involved with Domestic Violence and Juvenile Justice Acts.

With the basic knowledge in the laws and other available welfare measures and legislation, they would be able to assist their immediate neighbourhood; Those who are in need of such assistance, so that a person, who is not aware of such right is not only made to understand his rights, but also will be able to have access to measures involving implementation of such rights.

PLVs are not only expected to impart awareness on laws and the legal system, but they must also be trained to counsel and amicably settle simple disputes between the parties at the source itself; which could save the trouble of the affected travelling all the way to the Legal Services Authority/ADR Centres. If the dispute is of such a nature, which cannot be resolved at the source with the assistance of PLVs, they could bring such parties to the ADR Centres, where, with the assistance of the Secretary in charge either it could be referred to Lok Adalat or Mediation Centre or Legal assistance could be provided for adjudication in a court of law; depending upon the nature of problem.

Though initially the NALSA Scheme of training of the PLVs included the legal fraternity of Advocates, Advocate community, later on experience revealed, the same to be unfeasible on account of conflict with the professional status of Advocates. The reality that marginalised people living in distant places will not have the benefit of lawyer PLVs also contributed to the practice being discontinued, and NALSA deciding that Advocates shall not be enlisted or engaged as PLVs.

The past experience gained from the working of the system after 2009 and also ground realities ascertained from the paralegals in the respective jurisdiction showed us that there has to be a re-look into the entire matter and who best could fit the role of a Para-Legal Volunteer. Initially, the training programme of PLVs was only for two-three days. Since the obligations of PLVs were vast in nature, it was felt, there has to be longer duration of training provided to the PLVs. At the same time, the training curriculum for PLVs adopted by NALSA cannot be such as to be training PLVs to become full-fledged lawyers. PLVs are not expected to conduct themselves as legal professionals. The aim of the training should concentrate on basic human qualities like compassion, empathy and a genuine concern and willingness to extend voluntary service without expectation of monetary gain from it. Then the line separating PLVs from professional lawyers should be zealously guarded.

MODALITIES

- Ideally every Taluk Legal Services Committee (TLSC) shall have a panel of PLVs; of a maximum number of 25 (50) on their roll at any given point of time. The District Legal Services Authority (DLSA) shall have 50 (100) active PLVs on their roll.
- PLVs shall be literate, preferably matriculate, with a capacity for overall comprehension.
- Preferably PLVs shall be selected from persons, who do not look up to the income they derive from their services as PLVs, but they should have a mind-set to assist the needy in the society coupled with the compassion, empathy and concern for the upliftment of marginalised and weaker sections of the society. They must have unflinching commitment towards the cause which should be translated into the work they undertake.

GROUPS from whom Para-Legal Volunteers can be selected

- Teachers (including retired teachers)
- Retired Government servants and senior citizens.
- M.S.W students and teachers.
- Anganwadi Workers.
- Doctors/Physicians.
- Students & Law Students (till they enroll as lawyers).
- Members of non-political, service oriented NGOs and Clubs.

- Members of Women Neighbourhood Groups, Maithri Sanghams and other Self Help Groups including of marginalized/vulnerable groups.
- Educated prisoners with good behaviour, serving long term sentences in prisons.
- Any other person whom the District Legal Services Authority or Taluk Legal Services Committee deems fit to be identified as PLVs.

Selection of PLVs - District Level

Selecting the PLVs shall be by a Committee chaired by the Chairman of the District Legal Services Authority. The Secretary shall be one of the Members of the Committee. The Committee shall consist in all of three members including the Chairman and the Secretary shall be one of the Members of the Committee. The third member, to be appointed at the discretion of the Chairman of the DLSA, shall be one capable of identifying suitable persons, who could be trained as PLVs. This selection process shall not be entrusted to any other body.

Selection of PLVs - Taluk Level

The Chairman of the District Legal Services Authority shall constitute a Committee consisting of the Chairman of DLSA, Member Secretary of DLSA and the Chairman of TLSC and a fourth person at the discretion of the Chairman of DLSA. The place of interview for Taluk Level PLVs shall be at the discretion of the Chairman of DLSA. The Member Secretary of DLSA shall co-ordinate with the selection process.

Empanelment process

Applications may be invited from the local residents by the respective DLSAs and TLSCs or Sub Divisional Legal Services Committee. There could be an advertisement, if required. Copies of either the advertisement or notice calling for applications could be sent to the offices of the Bar Association, Notice Board of the Court premises, Legal Services Authority Offices and District Panchayat Offices. The advertisement shall state the qualifications required for selection as PLVs as stated above with last date for the receipt of applications at the office of DLSA. There shall be a column in the application, wherein the candidate has to express willingness or place of preference to work at either district-level or taluk-level or village-level. In the advertisement there shall be clear mentioning that the work of PLVs does not carry any salary, remuneration or wages except honorarium fixed by the DLSA from time to time.

Method of Selection

The Selection Committee is entitled to use its discretion and shortlist the number of candidates for interview depending upon the number of applications received. Preference shall be given to women while selecting PLVs. Representation from suitable applicants belonging to SC/ST, minority and other backward classes must be ensured.

Training of PLVs

Under the supervision of Chairman of DLSA, PLVs shall undergo training programme, totally under the control of the Member Secretary. The training shall be held at a convenient place subject to discretion of the Chairman of DLSA. The number of PLVs to be trained at any given point of time in a training programme shall not exceed 50. Wherever the State Judicial Academy has facilities for training, the same may be availed of. The expenses for the training shall be incurred by the Judicial Academy for providing such facility to be reimbursed by the State Government/DLSA concerned.

Trainers/Resource Persons

- In consultation with the State Legal Services Authority, the Chairman of DLSA shall identify the trainers for training the PLVs and other resource persons.
- Suitable persons from the members of the Bar with training skills shall be included in the list of resource persons.
- Others could include:
 - NGOs associated with the activities of Legal Services Authority, i.e., persons, who are exposed to the nature of work of the Legal Services Authority.
 - Master Trainers of mediation.
 - Law Teachers from Law Colleges.
 - Post-Graduate students of Law.
 - Retired Professors of Law.
 - Retired Judicial Officers.
 - Revenue Officers.
 - Officers from Social Welfare Department,.
 - Public Prosecutors.
 - Police Officers.
 - Psychiatrists/Psychologists/Mental Health experts.

Nature of Training

Training that is to be provided to the PLVs would be in accordance with the curriculum prescribed by the NALSA and will be in the following formant:

- (a) Orientation Programme.
- (b) Basic training.
- (c) Refresher course.

There shall be periodical refresher training in order to assess the quality of work turned out by the PLVs. The Legal Services Authorities need to assess the work of PLVs and assist them to identify the deficits and how to tackle the problems faced by the PLVs after their experience in the field. There shall be annual congregation of PLVs so as to facilitate an exchange of experience. There shall be district-wise half-yearly meetings of PLVs to resolve their doubts and facilitate the acquisition of knowledge and upgradation of their skills as per the module.

PLVs shall create awareness among citizens of the benefits of settlement of pending cases through Lok Adalats including the fact that the parties are entitled to refund of court fee and that there shall be no appeal.

Topics for Training

A uniform training module for PLVs shall be prepared by NALSA which shall be applicable to the entire country and the module shall have a special emphasis on the conduct and behaviour of PLVs. The module so prepared shall be translated into regional languages.

Identity Cards

After completion of the training by the District Legal Services Authority, the PLVs may be subjected to a written and oral test before the PLVs are declared to have successfully completed the training. On being declared successful, they may be given identity cards bearing the emblem of the District Legal Services Authority. The identity card shall have (i) serial number; (ii) name and address of the PLV; (iii) contact number of the PLV; (iv) photograph of the PLV; (v) the date of issue and the period of validity of the identity card. It shall be clearly printed on the reverse side of the identity card that the loss of the identity card should be reported to the nearest Police Station as also its recovery.

The identity card shall not be used for availing of travelling concession either in bus or in any mode of transport.

It shall not be used for availing of any governmental benefits or loan by the holder of the card.

The identity card shall not be used for availing of any other facilities, except for the purpose of identification of the person as PLV.

Validity of Identity Cards

The validity of the identity card shall be for a period of one year. A new card shall be issued to the PLV, if the Chairman, District Legal Services Authority finds him/her eligible to continue as PLVs for more than one year.

Mentors for PLVs

DLSA and TLSC shall maintain a panel of Mentors/Guides whom the PLVs could contact in case of any clarification or assistance in connection with the discharge of their duties as PLVs. There shall not be more than ten PLVs for one Mentor.

Monthly Reports

A monthly report of the existing PLVs, PLVs newly recruited and the training given to the PLVs shall be submitted by the DLSA to the SLSA. The SLSA shall

submit a consolidated report of the details of the number of PLVs trained, the resource persons engaged, expenses incurred and the refresher courses, if any, organised, pertaining to each month, to the National Legal Services Authority before 15th day of every month.

NALSA shall cause the copies of such reports sent to the National Committee for Para-Legal Training and Legal Aid Activities set-up by the Chief Justice of India.

The SLSAs shall submit to the NALSA a consolidated District-wise report on the activities of the PLVs, specifically the number of persons attended and the nature of advice given and action taken.

Duties of Trained Para-Legal Volunteers

Para-Legal Volunteer shall educate people, especially those belonging to weaker sections of the society, to enable them to be aware of their right to live with human dignity, to enjoy all the constitutionally and statutorily guaranteed rights as also the duties and discharge of obligations as per law.

Para-Legal Volunteers shall make people aware of the nature of their disputes/issues/problems and inform them that they can approach the TLSC/DLSA/HCLSC/SLSA/SCLSC so as to resolve the dispute/issue/problems through these institutions.

Para-Legal Volunteers shall constantly keep a watch on transgressions of law or acts of injustice in their area of operation and bring them immediately to the notice of the TLSC through telephonic message or a written communication or in person to enable effective remedial action by the Committee.

When the PLV receives information about the arrest of a person in the locality, the PLV shall visit the Police Station and ensure that the arrested person gets legal assistance, if necessary, through the nearest legal services institutions.

The PLVs shall also ensure that the victims of crime also get proper care and attention. Efforts shall be made by the PLVs to secure compensation for the victims of crime under the provisions of Section 357-A Cr.P.C.

PLVs shall, with proper authorization from the DLSA/TLSC visit jails, lock-ups, psychiatric hospitals, children's homes/observation homes and shall ascertain the legal service needs of the inmates and intimate the authorities concerned about any absence noticed of basic essential necessities with special emphasis on hygiene.

PLVs shall report violations of child rights, child labour, missing children and trafficking of girl children to the nearest legal services institutions or to the child welfare committee.

Para-Legal Volunteers shall assist the DLSA/TLSC for organizing legal awareness camps in their area of operation.

Para-Legal Volunteers shall give information to the people of their locality about the legal services activities of SLSA/DLSA/TLSC/HCLSC/SCLSC and shall provide their addresses to the people so as to enable them to utilize the free services rendered by the above organizations to the eligible persons.

Para-Legal Volunteers shall generate awareness amongst people about the benefits of settlement of disputes including pre-litigation stage through Lok Adalats, Conciliation, Mediation and Arbitration.

Para-Legal Volunteers shall make people aware of the benefits of inexpensive settlement of disputes relating to Public Utility Services like P&T, Telephones, Electricity, Water Supply, Insurance and hospital services through Permanent Lok Adalat (PLA).

Para-Legal Volunteers shall submit monthly reports of their activities to the DLSA/TLSC under whom they are working in the prescribed format.

A diary to record the daily activities shall be maintained by each PLVs. The diary shall be printed and given to PLVs by the District Legal Services Authority. Such diary shall be verified and endorsed by the Secretary, DLSA or the Chairman, TLSC as the case may be.

Para-Legal Volunteers shall see that publicity materials on legal services activities are exhibited at prominent places in their area of activity.

Expenses incurred by Para-Legal Volunteers

Reasonable expenses incurred by Para-Legal Volunteers e.g Bus/Train fare, Postage, Telephone charges etc., may be reimbursed by the TLSC/DLSA/SLSA, on production of proof. Travel expenses limited to the lowest classes by road/rail/steamer to the legal aid beneficiaries brought by the Para-Legal Volunteers also may be reimbursed at the discretion of the Chairman.

The rate of daily honorarium payable to PLVs on the days of their engagement as such in metro-cities may be as determined by the SLSA.

The PLVs are not entitled to any travel expenses when they use the transport provided by SLSA/DLSA/TLSC.

Para-Legal Volunteers to work in the 'Front Offices' of the DLSA/TLSCs.

The Secretary, DLSA or TLSC may depute one or more PLVs to operate the 'front offices' of the legal services institutions.

Para-Legal Volunteers to work in the 'Legal Aid Clinics' of the DLSA/TLSCs.

The Secretary, DLSA or TLSC may depute PLVs in the Legal Aid Clinics set up under the National Legal Services Authority (Legal Aid Clinics) Regulations, 2011. The PLVs engaged in the Legal Aid Clinics shall function in such clinics in accordance with the provisions of the aforesaid regulations.

Honorarium for the PLVs rendering services in the Legal Aid Clinics and Front Offices.

The State Legal Services Authority in consultation with the National Legal Services Authority may fix an honorarium for the PLVs engaged in the legal aid clinics.

However, such honorarium for those who have rendered services on any day shall not be less than Rs.250/- per day.

The PLVs who bring legal aid applicants from the distant villages to the legal services institutions at the Taluk/District level and to the District ADR Centers shall also be eligible to receive honorarium for such day at the same rate.

PLVs shall also be eligible for honorarium if on any particular day they assist persons in connection with the PLV work by accompanying such persons to various offices including Courts, however, subject to proof.

Para-Legal Volunteers to assist in the legal literacy classes and camps.

The PLVs in consultation with the nearest legal services institutions shall organise micro-legal literacy camps in the area of their operation by organising legal literacy classes for small groups of persons including labourers, women, children members of SC/ST etc. It shall be the duty of the PLVs to distribute information booklets and other publications of the Legal Services Authorities during the legal literacy classes.

Resolving local disputes through ADR mechanism.

The PLVs shall take efforts to bring the parties of the locality involved in disputes, to settlement, by using the machinery of Lok Adalat, Mediation or Conciliation at the District ADR Centers. If no District ADR Center has been set up in the District, the legal services institutions shall take steps for organising a suitable ADR mechanism like Lok Adalat, mediation, conciliation etc. in the village itself in coordination with the PLVs. The PLVs who bring such cases to the ADR process shall be entitled to receive the prescribed honorarium on the day when such proceedings are held.

Para-Legal Volunteers in Jails.

A few educated well-behaved prisoners serving long term sentences in the Central Prison and District Prisons may be identified for being trained as Para Legal Volunteers. Their services shall be available to the other prisoners in the jail including the under trial prisoners. The training of such PLVs may be conducted along with the other PLVs.

Payment.

They will be entitled to be paid as PLVs for the services rendered at the prescribed rate of honorarium payable to other PLVs.

Disqualifications of Para-Legal Volunteers and their removal.

- The PLVs shall be disqualified and removed from the panel if he/she:
- Fails to evince interest in the Scheme.
- Has been adjudged insolvent.
- Has been accused of an offence.
- Has become physically or mentally incapable of acting as PLVs.
- Has so abused his/her position or misconducted in any manner as to render his/her continuance prejudicial to the public interest.
- If she/he is an active political enthusiast of a political party. Any such Para-Legal Volunteer may be removed by the Chairman, District Legal Services Authority after suitable enquiry and intimation of the same should be sent to the State Legal Services Authority.

National level meetings of Para-Legal Volunteers.

The State Legal Services Authority may select suitable PLVs for attending the National Level programmes relating to PLVs to be organised by the National Legal Services Authority as the case may be. The State Legal Services Authority may recommend the names of PLVs who have given outstanding service for considering such PLVs for National awards to be instituted by the National Legal Services Authority.

The District Legal Services Authority to maintain a database of all Para-Legal Volunteers in the District.

The District Legal Services Authority shall maintain a directory of Para-Legal Volunteers and the same shall be updated periodically. The directory shall contain the details of the para-legal volunteers of District Authority and Taluk/Mandal/Sub-divisional Committees, their names, addresses, telephone/cell phone number, e-mail ID (if any), number and date of expiry of the identity card issued.

The State Legal Services Authority to maintain a database of all Para-Legal Volunteers in the State.

The State Legal Services Authority shall maintain a directory of Para-Legal Volunteers and the same shall be updated periodically. The directory shall contain the district wise details of the names of para-legal volunteers, their addresses, telephone/cell phone numbers, e-mail ID (if any), number and date of expiry of the identity card issued.

The Legal Services Authorities to work in co-ordination with the National Committee for Para-Legal Training and Legal Aid Activities set up by the Chief Justice of India.

The State, District and Taluk level legal services institutions shall work in coordination with the National Committee for Para-Legal Training and Legal Aid Activities set up by the Chief Justice of India. The directions, if any, given by the Hon'ble Chairman of the National Committee for Para-Legal Training and Legal Aid Activities shall be binding on all legal services institutions in the country.

MODULE FOR THE ORIENTATION - INDUCTION - REFRESHER COURSES FOR PLV TRAINING

I. ORIENTATION COURSE

Immediately upon initial empanelment the PLVs shall be given a day's orientation course.

Course objectives:

The objective of the Orientation Programme is to provide an overview of the role of the PLVs and lay down the Code of Ethics that they will be required to be adhered to.

The Orientation Programme should include inter alia the following:

- Introductions and Ice-Breaking Session
- Purpose & Role of PLVs.
- Basic Structure of the Constitution - Preamble etc.
- Obligations of the State under the Constitution to the marginalised classes of society(Directive Principles of State Policy)
- Fundamental Rights (including Articles 14,15,16,19,21,22)
- Duties of a responsible citizen to the community (Fundamental Duties).
- Article 39 A and Legal Services Authorities Act, 1987 and NALSA Regulations.
- Do's and Don'ts for PLVs.
- Dress Code and Standards of behaviour.
- Materials
- Ethics.

II INDUCTION COURSE

The induction training will be for a period of four days and should cover the following topics:

- Basic listening, communication, observation skills and Drafting skills.
- Family Laws (Marriage Laws, Adoption, Maintenance, Custody and Guardianship, Judicial separation & Divorce).
- Property Laws (Inheritance, Transfers of immovable property, Registration, Revenue Laws).

- Criminal Laws (IPC & Cr.P.C {minimum required knowledge, especially, bail, arrest etc. S.357 A Cr.P.C., Rights of Prisoners under Jail Manual and Prisoner's Act etc}).
- Labour Laws (Minimum Wages Act 1948, Workmen's Compensation Act 1923, Unorganised Workers Welfare and Social Security Act 2008, The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, The Industrial Disputes Act, 1947 (Briefly), legal assistance under the NALSA Scheme (Legal Services to the Workers in the Unorganised Sector) Scheme, 2010.
- Gender Centric Laws/Women Laws - Equal Remuneration Act 1976, Maternity Benefit Act 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Medical Termination of Pregnancy Act 1971, Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, Sexual Harassment at Workplace, Important provisions of IPC - Sections 509, 354, 376, 304B, 366, 498A, 494, Dowry Prohibition Act, 1961.
- Laws relating to children - Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act of 1986, Missing Children, The Factories Act 1948, Prohibition of Child Marriage Act, 2006.
- SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and The Protection of Civil Rights Act, 1955.
- Government orders and schemes promoting social welfare, including MNREGA, Social Security Schemes (pensions, antodaya, insurance etc), obtaining various certificates (such as caste, disability, birth, income etc), obtaining ration card, Aadhar card, National Population Register, Voter ID-card, etc, obtaining Passport.
- Visits to Govt. Offices, Courts, Police Stations, Prisons, Revenue Offices, DLSAs, TLSCs etc. Interaction with Protection Officers, CWCs/JJBs, appropriate authority under PCPNDT Act, 1994 etc.

III ADVANCE TRAINING

After the PLVs have had field experience for three months it is important that an advanced training programme is conducted lasting for three days. The occasion should be utilized by the Chairpersons of the DLSAs to discuss the work done by the PLVs, the shortcomings generally noticed and their continuance. The Mentors should also participate in this programme for guiding the PLVs to

resolve the problems faced by the PLVs in the discharge of their duties and public interaction. The Chairpersons of the DLSAs should also obtain feedback from the PLVs in order to remove administrative bottlenecks. During this training programme the PLVs should be introduced to Special laws which could include:

- Right to Information Act, 2005
- Motor Vehicles Act, 1988
- Mental Health Act, 1987 and legal assistance under the NALSA scheme Legal Services to the mentally ill Persons and Persons with Mental Disabilities) Scheme, 2010.
- Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
- Right to Education Act, 2009
- Alternate Dispute Resolution (S 89 C.P.C.)
- Basic skills in mediation and counselling
- Lok Adalat, including pre-litigation and its benefits.
- Plea-bargaining
- Rights of marginalised groups such as those living with HIV/AIDS, Disabled, trans genders etc.
- The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 and issues relating to sex workers.
- Disaster Management and Legal assistance to victims of disaster under the NALSA Scheme - Legal Services to Disaster Victims through Legal Services Authorities.
- Environmental issues
- The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

Ideally, the SLSAs should by itself or through the DLSAs organize workshops at regular intervals on special topics which could be for a day or two. These should be need based, that is to say, if on a review of the working of the PLVs, the SLSAs/DLSAs feel that certain subjects need to be revisited and discussed again or that in a given area certain issues exist which need to be addressed or tackled and which have not been dealt with by the prescribed course content, such topics and issues should be discussed in the one day/two days workshops.

Inter-District workshops should be organised by the SLSAs for a day to encourage experience sharing and introduction of better practices. Good work done could be recognised and appreciated and commendation certificates given on the occasion.